

1. प्रस्तावना
2. स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एसजेएसआरवाई)
मुख्य विशेषताएं
3. वित्तपोषण पद्धति और वित्तीय प्रक्रियाएं
4. शहरी स्वरोजगार कार्यक्रम (यूएसईपी)
5. शहरी महिला स्वसहायता कार्यक्रम (यूडब्ल्यूएसपी)
6. शहरी गरीबों के बीच रोजगार बढ़ाने के लिए कौशल प्रशिक्षण (स्टेप-अप)
7. शहरी मजदूरी रोजगार कार्यक्रम (यूडब्ल्यूईपी)
8. शहरी समुदाय विकास नेटवर्क (यूसीडीएन) समुदाय
संरचना, समुदाय विकास और अधिकारिता
9. कार्यक्रम कार्यान्वयन – प्रशासनिक और अन्य व्यय (एएण्डओई)
10. सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी)
11. अभिनव / विशेष परियोजनाएं
12. विशेष घटक कार्यक्रम
13. निगरानी और मूल्यांकन
14. सामान्य
15. अन्य
16. अनुलग्नक

स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना
(एसजेएसआरवाई)

2. प्रस्तावना

1.1 नेहरु रोजगार योजना (एनआरवाई), शहरी गरीबों के लिए शहरी बुनियादी सेवाएं (यूबीएसपी) और प्रधान मंत्री एकीकृत शहरी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम (पीएमआईयूपीईपी) नामक पूर्व तीन शहरी गरीबी उपशमन स्कीमों को मिलाने के बाद दिनांक 1.12.1997 को स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एसजेएसआरवाई) शुरु की गई थी। इस स्कीम का मुख्य उद्देश्य स्वरोजगार उद्यमों की स्थापना अथवा मजदूरी रोजगार की व्यवस्था करके शहरी बेरोजगार अथवा अल्प रोजगारों को लाभप्रद रोजगार मुहैया कराना था।

1.2 राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा सामना की गई कठिनाईयों को दूर करने तथा स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के कार्यान्वयन में कुछ कमियों को देखने हेतु स्कीम के दिशानिर्देशों को संशोधित किया गया है। यह माना जाता है कि संशोधित दिशानिर्देश एसजेएसआरवाई के प्रभावी कार्यान्वयन में सहायता करेंगे तथा देश में शहरी गरीबी परिदृश्य में सुधार लायेंगे। संशोधित दिशानिर्देश 1.4.2009 से प्रभावी होंगे।

2. स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना : मुख्य विशेषताएं

उद्देश्य

2.1 संशोधित स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एसजेएसआरवाई) के उद्देश्य इस प्रकार हैं :

- शहरी बेरोजगारों अथवा अल्प रोजगार गरीबों को उनके भरण-पोषण के लिए सहायता मुहैया कराकर स्वरोजगार उद्यम (व्यक्तिगत या समूह) स्थापित करना अथवा मजदूरी रोजगार शुरु करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करके लाभप्रद रोजगार के माध्यम से शहरी गरीबी उपशमन करना ;
- कौशल विकास और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए सहायता करना ताकि शहरी गरीब बाजार द्वारा दिए गए रोजगार अवसर प्राप्त कर सकें अथवा स्वरोजगार शुरु कर सकें ; और
- परिवेश दलों (एनएचजी), परिवेश समितियों (एनएचसी), समुदाय विकास सोसाइटी (सीडीएस) आदि जैसी स्वप्रबंधकीय समुदाय संरचनाओं के जरिये शहरी गरीबी के मामलों का समाधान करने हेतु समुदाय को अधिकार देना।

स्कीम के अंतर्गत निवेशों की आपूर्ति शहरी स्थानीय निकायों और समुदाय संरचनाओं के माध्यम से की जायेगी। अतः स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना का उद्देश्य इन स्थानीय निकायों और सामुदायिक संगठनों को सुदृढ़ करना है ताकि वे शहरी गरीबों द्वारा सामना किए जा रहे रोजगार और आय अर्जन के मामलों को देख सकें।

दायरा

3.3 एसजेएसआरवाई के अंतर्गत लक्ष्य आबादी वे शहरी गरीब हैं जो योजना आयोग द्वारा समय-समय पर यथा परिभाषित गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं।

घटक

2.3 एसजेएसआरवाई में पांच मुख्य घटक होंगे, नामतः:

- (i) शहरी स्वरोजगार कार्यक्रम (यूएसईपी)
- (ii) शहरी महिला स्वसहायता कार्यक्रम (यूडब्ल्यूएसपी)
- (iii) शहरी गरीबों के बीच रोजगार बढ़ाने के लिए कौशल प्रशिक्षण (स्टेप अप)
- (iv) शहरी मजदूरी रोजगार कार्यक्रम (यूडब्ल्यूईपी)
- (v) शहरी समुदाय विकास नेटवर्क (यूसीडीएन)

अनुसूचित जातियों (अजा) और अनुसूचित जनजातियों (अजजा) के बीच शहरी गरीबी के मामलों पर विशेष ध्यान केन्द्रित करने के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के बीच गरीबी कम करने हेतु शहरी कार्यक्रम (यूपीपीएस) नामक एसजेएसआरवाई का एक विशेष घटक कार्यक्रम यूएसईपी और स्टेपअप से बनाया जाएगा।

3. वित्तपोषण पद्धति और वित्तीय प्रक्रियाएं :

3.1 एसजेएसआरवाई के अंतर्गत वित्तपोषण केन्द्र और राज्यों के बीच 75:25 के अनुपात में किया जाएगा।

3.2 विशेष श्रेणी राज्यों (अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखण्ड) के लिए यह अनुपात केन्द्र और राज्यों के बीच 90:10 होगा।

3.3 एसजेएसआरवाई के अंतर्गत केन्द्रीय अंश योजना आयोग द्वारा समय-समय पर अनुमान लगायी गई शहरी गरीबी (शहरी गरीबों की संख्या) की स्थिति के संबंध में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के बीच अनन्तिम रूप से आबंटित किया जायेगा। तथापि, वर्ष के दौरान खपत क्षमता (एसजेएसआरवाई धनराशि के उपयोग में, पूर्व प्रवृत्ति के आधार पर) और विशेष आवश्यकता जैसे अतिरिक्त पैरामीटरों पर भी विचार किया जायेगा।

3.4 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को केन्द्रीय धनराशि तब ही जारी की जायेगी जब वे पूर्व जारी धनराशि के सापेक्ष राज्य अंश जारी करने के साथ-साथ उपयोग प्रमाणपत्र (यूसी) प्रस्तुत करने के संबंध में निर्धारित मानदण्ड पूरा करेंगे। तथापि, स्कीम के अंतर्गत धनराशि के बेहतर उपयोग को बढ़ावा देने के लिए केन्द्रीय स्तर पर अनुपयुक्त धनराशि, जिसे निर्धारित मानदण्ड पूरा नहीं किए जाने के कारण राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को जारी नहीं किया जा सका, बेहतर कार्य निष्पादन करने वाले राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को, उनके कार्यनिष्पादन और अतिरिक्त धनराशि के लिए मांग को ध्यान में रखते हुए वित्तीय वर्ष की चौथी तिमाही में दिया जा सकता है।

3.5 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को, घटकों में अलग किए बिना समग्र रूप से, एसजेएसआरवाई के लिए धनराशि जारी की जायेगी जिससे धनराशि का उपयोग करने हेतु उनके लिए लचीलापन बना रहे। तथापि, आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय द्वारा केन्द्रीय अंश के निदर्शी घटकवार आबंटन के बारे में समय-समय पर राज्यों को सूचित किया जाएगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि एसजेएसआरवाई के सभी घटकों का संतुलित कवरेज के साथ-साथ उपलब्ध धनराशि का बेहतर उपयोग हो।

3.6 आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय द्वारा निर्धारित अखिल भारतीय लक्ष्यों के आधार पर स्कीम के अंतर्गत राज्य /संघ राज्य क्षेत्रवार वार्षिक भौतिक लक्ष्य नियत किए जायेंगे। इन लक्ष्यों के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार प्रगति की निगरानी की जायेगी तथा इसलिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को, स्कीम के विभिन्न घटकों के लिए धनराशि के आबंटन को प्राथमिकता दी जानी चाहिये ताकि ये वार्षिक लक्ष्य प्राप्त किए जा सकें।

3.7 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को केन्द्रीय अंश किस्तों में जारी किया जायेगा। समग्र वर्ष में होने वाली यह लगातार प्रक्रिया होगी। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र निर्धारित मानदण्ड के अनुसार जब भी पात्र हो जायेंगे, उन्हें केन्द्रीय अंश जारी कर दिया जायेगा।

(i) शहरी स्वरोजगार कार्यक्रम (यूएसईपी)

4.1 इस घटक में दो उप घटक होंगे :

- (ii) लाभप्रद स्वरोजगार उद्यम स्थापित करने के लिए व्यक्तिगत शहरी गरीब लाभार्थियों को सहायता (ऋण और सब्सिडी)।
- (iii) शहरी गरीबों को अपने उद्यम स्थापित करने के साथ-साथ उनके उत्पादों का विपणन करने के लिए प्रौद्योगिकी / विपणन/ अवस्थापना / जानकारी और अन्य सहायता (प्रौद्योगिकी, विपणन और अन्य सहायता)।

4.2 शहरी स्वरोजगार कार्यक्रम (ऋण और सब्सिडी)

4.2.1 स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के इस घटक में लाभप्रद स्वरोजगार उद्यम, लघु उद्यम स्थापित करने हेतु व्यक्तिगत शहरी गरीब लाभार्थियों को सहायता मुहैया कराने पर बल दिया गया है।

दायरा

4.2.2 कार्यक्रम समग्र कस्बा आधार पर सभी शहरों व कस्बों पर लागू होगा। प्रत्येक कस्बे में गरीबों के समग्र समूहों द्वारा उसका कार्यान्वयन किया जाएगा ताकि प्रशासन और सुपुर्दगी तंत्र में दक्षता लाई जा सके और साथ ही प्रभाव दृष्टिगोचर हो सके।

लक्ष्य समूह

4.2.3 शहरी स्वरोजगार कार्यक्रम (यूएसईपी) में योजना आयोग द्वारा समय-समय पर यथाविनिर्दिष्ट गरीबी रेखा से नीचे की शहरी आबादी को लक्ष्य बनाया जाएगा। इसमें महिलाओं, अनुसूचित जाति(एससी)/अनुसूचित जनजाति(एसटी) से संबंधित व्यक्तियों, भिन्न प्रकार से सशक्त व्यक्तियों तथा सरकार द्वारा समय-समय पर यथा विनिर्दिष्ट अन्य श्रेणियों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। यूएसईपी के अंतर्गत महिला लाभार्थियों की प्रतिशतता 30% से कम नहीं होगी। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को शहर/कस्बे की गरीबी रेखा से नीचे की आबादी में कम से कम उनकी संख्या के समानुपात में तो लाभान्वित किया ही जाना चाहिए। लाभार्थियों की कुल संख्या में 3% आरक्षण का एक विशेष प्रावधान यूएसईपी के अंतर्गत भिन्न प्रकार से सशक्त व्यक्तियों के लिए रखा जाए। अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए प्रधान मंत्री के नए 15 सूत्री कार्यक्रम को देखते हुए राष्ट्रीय स्तर पर शहरी स्वरोजगार कार्यक्रम के अंतर्गत भौतिक और वित्तीय लक्ष्यों का 15% अंश, अल्पसंख्यक समुदायों के लिए निर्धारित किया जाएगा।

शैक्षिक अर्हता

4.2.4 यूएसईपी के अंतर्गत लाभार्थियों के चयन के लिए कोई न्यूनतम अथवा अधिकतम शैक्षिक अर्हता निर्धारित नहीं है। जहां लघु उद्यम विकास के लिए अभिज्ञात क्रियाकलापों में उचित स्तर पर कौशल प्रशिक्षण आवश्यक है, वहां वित्तीय सहायता दिए जाने से पूर्व लाभार्थियों को प्रशिक्षण मुहैया कराया जाएगा।

लाभार्थी पहचान

4.2.5 स्लमों और कम आय बस्तियों पर ध्यान देते हुए वास्तविक लाभार्थियों की पहचान के लिए घर-घर जाकर सर्वेक्षण करने की जरूरत पड़ेगी। स्लम सर्वेक्षण तथा आजीविका सर्वेक्षण करने हेतु मॉडल फार्मेट तथा दिशानिर्देश आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय द्वारा जारी किए जाएंगे। एसजेएसआरवाई के तहत लाभ प्राप्ति हेतु शहरी गरीबों की पहचान करने के लिए शहरी गरीबी रेखा के आर्थिक मानदंड के अलावा, गैर आर्थिक मानदंड भी प्रयुक्त किए जायेंगे। इस संबंध में **अनुलग्नक** में कुछ गैरआर्थिक मानदंड सुझाए गए हैं। परिवेश समूह, परिवेश समितियों तथा समुदाय विकास सोसाइटियों जैसी समुदाय संरचनाएं शहर/कस्बा शहरी गरीबी उपशमन प्रकोष्ठ (यूपीए प्रकोष्ठ) के मार्गनिर्देशन में लाभार्थियों की पहचान के कार्य में शामिल होंगी। इस प्रयोजन के लिए गैर सरकारी संगठनों / अन्य अभिज्ञात निकायों की सहायता भी ली जा सकती है।

4.2.6 अन्य सभी शर्तें समान होने पर महिला प्रधान घरों की महिला लाभार्थियों को अन्य लाभार्थियों की तुलना में उच्च प्राथमिकता दी जाएगी। इस वर्ग के लिए महिला प्रधान घरों से आशय उन परिवारों से है, जिनकी मुखिया विधवाएं, तलाकशुदा, एकल महिलाएं अथवा वे परिवार हैं, जिनमें महिला ही कमाऊ सदस्य हैं।

समूह संकल्पना

4.2.7 एसजेएसआरवाई के अंतर्गत सहायता हेतु समूहों की पहचान की जाए और यह सुनिश्चित करने हेतु प्रयास किए जाएं कि समूहों में सभी वयस्कों को कौशल विकास, स्वरोजगार अथवा मजदूरी रोजगार के लाभ मिले ताकि किसी भी शहरी गरीब परिवार का वयस्क आय अर्जन साधनों के बिना न रहे। समूहों का चयन इस प्रकार किया जाए कि यूएसईपी लक्ष्य समूहों की ओर ध्यान आकर्षित किया जा सके।

4.2.8 यूएसईपी में अल्परोजगार प्राप्त और बेरोजगार शहरी गरीबों को मैनुफैक्चरिंग, सर्विसिंग तथा छोटे मोटे कारोबार से संबंधित ऐसे लघु उद्यम स्थापित करने हेतु प्रोत्साहित किया गया है, जिनके लिए शहरी क्षेत्रों में काफी संभावनाएं हैं। इस प्रयोजन के लिए स्थानीय कौशल और स्थानीय कारीगरी को प्रोत्साहित किया जाए। प्रत्येक कस्बे/शहरी स्थानीय निकाय द्वारा विपणन, लागत, आर्थिक व्यवहार्यता इत्यादि को देखते हुए ऐसे कार्यक्रमों/परियोजनाओं का एक संग्रह विकसित किया जाए। मौजूदा प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) के साथ पुनरावृत्ति से बचने के लिए, एसजेएसआरवाई के इस घटक को गैर आर्थिक मानदंड के आधार पर प्रदत्त उच्च प्राथमिकता पर बल देते हुए गरीबी रेखा से नीचे के लाभार्थियों तक सीमित रखा जाए। लाभार्थी यह घोषित करें कि उन्हें किसी अन्य स्वरोजगार स्कीम के अंतर्गत इसका लाभ नहीं मिला है। लाभार्थियों की सूची में पीएमईजीपी को भी भागी बनाया जाए ताकि कवरेज की पुनरावृत्ति न हो।

4.2.9 स्वरोजगार के प्रयोजन के लिए 3 सेक्टरों यथा उत्पादन (लघु उद्योग), सेवा और कारोबार पर बल दिया जाएगा।

4.2.10 लघुउद्योग (निर्माण) में लोगों (हब) के एक समूह को समूह संकल्पना के अनुसरण के लिए स्थापित लघु व्यापार केंद्रों के आसपास और उनकी सहायता से उद्यम स्थापित करने हेतु प्रोत्साहित किया जाएगा। लघु व्यापार केंद्रों द्वारा कार्यशालाओं के रूप में स्थान मुहैया कराया जाएगा अथवा लघु उद्यमी अपने घरों से कार्य कर सकते हैं।

4.2.11 सेवा सेक्टर के संबंध में, शहरी स्थानीय निकायों को समुचित संचार तंत्र तथा स्थान सहित सेवा/सुविधा केन्द्र (प्रत्येक 50,000 की आबादी के लिए कम से कम एक केन्द्र) मुहैया कराए जाएंगे। कामगार स्वयं को केंद्रों में पंजीकृत कराएंगे, जो ग्राहकों की मांग के आधार पर, पंजीकृत कुशल कामगारों को रोजगार/कार्य प्रदान करने/सेवा व्यवसाय के मूल केंद्रों के रूप में कार्य करेंगे। गुणवत्तापरक कौशल पर बल दिया जाएगा और गृह दौरों के लिए दरें पहले से निर्धारित की जाएंगी।

4.2.12 व्यापार सेक्टर, अर्थात् दुकान आधारित उद्यमों में किओस्क/स्थलों को शहरी स्थानीय निकायों द्वारा शहरी गरीबों को दुकानें स्थापित करने हेतु पट्टे पर दिया जाएगा। वेन्डर मार्केटों को प्रोत्साहित किया जाएगा। मोटरयुक्त स्कूटरों पर चल रहे मोबाइल वेंडिंग आउटलेटों को समुचित प्रौद्योगिकीय सहायता देकर प्रोत्साहित किया जाएगा। लाभार्थी अपने स्वयं के मकानों/दुकानों से भी अपने उद्यम चला सकते हैं।

4.2.13 परिवहन सेक्टर में अवसरों, यथा, लोगों/ सामान को लाने ले जाने के लिए स्कूटर रिकशा, मोटरयुक्त साइकल रिकशा की संभावना तलाशी जाएगी। इस सेक्टर में समूह स्वामित्व/व्यवसायिक क्रेडिट ग्रुप की संकल्पना को भी बढ़ावा दिया जाएगा।

4.2.14 लघु उद्योग के अलावा, सेवा और व्यापार के क्षेत्रों को सम्मिलित करने के लिए लघु व्यापार केंद्रों की योजना बनाई जा सकती है। व्यापार के लिए वे परियोजना तैयार करने, योजना और नियामक एजेंसियों से

अनुमति, लेखों का रखरखाव, विज्ञापन, पैकेजिंग, ब्रांडिंग, अधिकतम खुदरा मूल्य तय करने, मार्केटिंग इत्यादि में मदद कर सकते हैं।

4.2.15 यूएसईपी के अंतर्गत वित्तपोषण पद्धति के ब्यौरे इस प्रकार हैं:

अधिकतम अनुमेय यूनिट परियोजना लागत	रु. 200,000/- रु
अधिकतम अनुमेय सब्सिडी	परियोजना लागत का 25%, जो अधिकतम 50,000/- रु. है

लाभार्थी अंशदान	परियोजना लागत का 5% मार्जिन राशि के रूप में
संपार्श्विक	कोई संपार्श्विक अपेक्षित नहीं।

यूएसईपी के प्रचालनात्मक ब्यौरों के लिए [अनुलग्नक।।](#) देखें।

4.2.16. एसजेएसआरवाई लघु उद्यमों की स्थापना हेतु शहरी गरीबों द्वारा दल निर्माण को प्रोत्साहित करेगी। यदि कई लाभार्थी, या तो पुरुष या पुरुष और महिलाओं वाला मिश्रित दल संयुक्त रूप से परियोजना स्थापित करना चाहते हैं तो ऐसी परियोजना सब्सिडी हेतु पात्र होगी जो कि उपरोक्त मानदण्ड के आधार पर प्रति व्यक्ति अनुमत्य कुल सब्सिडी योग के बराबर होगी। इस मामले में भी प्रति लाभार्थी 5% मार्जिन मनी से संबंधित प्रावधान लागू होगा। समग्र परियोजना लागत, जिसे अनुमति दी जा सकती है, प्रति लाभार्थी को देने योग्य व्यक्तिगत परियोजना लागत की सामान्य योग होगी।

4.3. प्रौद्योगिकी, विपणन एवं अन्य सहायता

4.3.1. यह घटक मुख्य रूप से शहरी गरीब उद्यमियों हेतु हैंडहोल्डिंग सहायता पर जोर देगा जो स्व-रोजगार प्राप्त करना चाहते हैं तथा अपने स्वयं के छोटे व्यवसाय या उत्पादन इकाईयां स्थापित करना चाहते हैं। इस घटक के तहत लघु व्यापार केन्द्र(एमबीसी) समूह स्तर पर स्थापित की जाएगी (जैसे- हैंडलूम/हैंडक्राफ्ट्स; खाद्य प्रसंस्करण,निर्माण,ग्लास एवं सिरैमिक, इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक्स, मेकेनिकल इंजीनियरी, आटो ड्राइविंग एवं मेकेनिक्स, मेटल वर्क्स, इत्यादि), तथा इन केंद्रों को एक बार पूंजी अनुदान के रूप में सहायता प्रदान की जाएगी, बशर्ते संबंधित राज्य सरकार / शहरी स्थानीय निकाय, केन्द्र के लिये मुफ्त अपेक्षित भूमि प्रदान करे। इसे सार्वजनिक - निजी- भागीदारी (पी-पी-पी) आधार पर चलाया जाएगा। एमबीसी को, स्वयं उद्यमियों की सोसाइटी द्वारा खुद भी, संविदा आधार पर लोगों को रखकर, चलाया जा सकता है।

4.3.2 लघु उद्यम सलाहकार सेवाएं (एसईएएस) एमबीसी के माध्यम से मुहैया कराई जाएगी जो 5 मुख्य क्षेत्रों को शामिल करने वाले विशेषज्ञों से सुसज्जित होगी; (1) लाभार्थियों के सर्वेक्षण एवं पहचान, समूह विकास इत्यादि सहित समुदाय जुटाना (2) कौशल एवं उद्यमिता विकास सहित क्षमता निर्माण,(3) व्यापार विकास,(4) वित्त एवं क्रेडिट तथा (5) विपणन। ये विशेषज्ञ, जिन्हें उनके शिक्षा एवं अनुभव के अनुसार आनुपातिक पारिश्रमिक का भुगतान किया जाय, शहरी गरीब समुदाय में से उद्यमियों के विकास हेतु हैंडहोल्डिंग कार्यकलाप शुरू करेंगे तथा उनके द्वारा संकल्पना स्तर से दीर्घकालीनता तक व्यवसाय के विकास को प्रोत्साहित करेंगे। लघु उद्यमों की सफलता दर को बढ़ाने को ध्यान में रख कर, एमबीसी एवं लघु उद्यम सलाहकार सेवाएं (एसईएएस), उन शहरी गरीब लघु उद्यमियों के, जिन्होंने स्व रोजगार को चुना है, हैंडहोल्डिंग पर विशेष ध्यान देंगी। एमबीसी एवं

एसईएएस हेतु प्रचालनात्मक दिशानिर्देश संबंधित राज्य / संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा समूह आधारित अप्रोच को अपनाकर जारी की जाएगी।

4.3.3 स्कीम के तहत लघु व्यापार केन्द्र को प्रति एमबीसी 80 लाख रु. तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी (60 लाख रु की एक बार दी जाने वाली पूंजी अनुदान+उनको बनाए रखने के लिए टैपर्ड स्केल पर चालू लागत हेतु 20 लाख रु. । इन एमबीसी को यथासमय स्व-सुस्थिर बनाने हेतु प्रयास किए जाने चाहिए। इसके लिए एमबीसी अपने को व्यापार, परामर्शी एवं अन्य आय प्राप्त करने वाली कार्यकलापों में शामिल कर सकती है। लघु व्यापार जैसे- जैसे समृद्ध होंगे, वे भी फीस चार्ज कर सकते हैं।

4.3.4 अपने उत्पादों इत्यादि के उत्पादन एवं विपणन के लिए लघु उद्यमों की स्थापना करने वाले लाभार्थियों को प्रौद्योगिकी, विपणन, परामर्श (सलाह) एवं अन्य सहायता भी प्रदान की जा सकती है। इसे गरीबों को किओस्क एवं रेहड़ी बाजार के रूप में बिक्री स्थल मुहैया कराकर, निर्माण एवं अन्य सेवाओं (जैसे बढई,प्लम्बर,इलेक्ट्रिशियन, टीवी/रेडियो /रेफ्रिजरेटर मशीन इत्यादि द्वारा मुहैया कराई जाने वाली सेवाएं जो शहरवासियों द्वारा बुलाने पर उपलब्ध होंगे) हेतु नगर पालिका सेवा/ सुविधा केन्द्र की स्थापना करके पूरा किया जा सकता है, तथा एक तरफ नगरपालिका मैदान या सड़क के किनारें सप्ताहांत बाजार/ सायंकालीन बाजार के प्रावधान हेतु संपर्क के माध्यम से तथा दूसरी तरफ बाजार सर्वेक्षण/ प्रचलन, संयुक्त ब्रांड नाम / डिजाइन एवं विज्ञापन के संबंध में तकनीकी सहायता के माध्यम से पूरा किया जा सकता है। सामुदायिक विकास सोसाइटी (सीडीएस) शहरी गरीबों द्वारा कच्ची सामग्री प्राप्त करने तथा उत्पादों के विपणन सहित सभी आवश्यक सहायता प्रदान करेगी।

4.3.5. यह भी प्रस्तावित है कि सीडीएस स्तर पर उन लोगों के लिए सेवा केन्द्र स्थापित की जाय जो कौशल उन्नयन प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं। प्रशिक्षित व्यक्तियों को उचित स्थान प्रदान किया जाय जो अपने आप को सेवा केन्द्र में नामांकन कराना चाहते हैं ताकि उन्हें सामुदायिक विकास सोसाइटी (सीडीएस) द्वारा निर्धारित उचित भुगतान स्केल पर नागरिकों के बुलाने पर दिन प्रतिदिन कुशल कार्य को करने हेतु भेजा जा सके। सेवा केन्द्र के तहत उपलब्ध सुविधाओं के संबंध में कस्बे में उचित प्रचार किया जाय। सेवा केन्द्र स्थानीय उद्योग की आवश्यकताओं हेतु मानवशक्ति एवं अन्य सक्षम नियोजित सर्वेक्षण कर सकती है और उनका मिलान नौकरी तलाशने वालों के साथ कर सकती है जिससे उचित कौशल प्रशिक्षण आयोजन में भी मदद कर सकती है।

4.3.6 सामुदायिक स्तरीय सेवा केंद्रों की स्थापना हेतु विशेष सहायता प्रदान की जा सकती है जिसका उपयोग इस कार्यक्रम के तहत लाभार्थियों हेतु विविध कार्यकलापों जैसे कार्यस्थल/ब्रांडिंग/ विपणन केन्द्र इत्यादि में किया जा सके। इसका संचालन स्थानीय सीडीएस द्वारा दिन प्रति दिन आधार पर किया जा सकता है। ऐसे केंद्रों हेतु स्थान या तो स्थानीय निकाय या किसी अन्य एजेंसी द्वारा मुफ्त में प्रदान किया जाना चाहिए।

4.3.7 सेवा/ सुविधा केन्द्र का निर्माण शहरी मजदूरी रोजगार कार्यक्रम के स्कीम के तहत निर्धारित मानदण्डों का पालन करेगा।

4.3.8 लघु-उत्पादन इकाई का समूह का विकास पारंपरिक कौशल एवं विशिष्ट उत्पादों हेतु विख्यात कस्बों के संबंध में स्थानीकरण के तथ्यों को ध्यान में रखकर किया जा सकता है। उपयुक्त या इण्टरमीडिएट प्रौद्योगिकी इनपुट का प्रयोग लघु उद्यमों के समूह द्वारा सामान्य उपयोग हेतु अपेक्षित मशीनरी/ औजार प्रदान करके सामान्य सुविधा केन्द्र के संबंध में चुनिंदा समूहों के प्रौद्योगिक आधार को मजबूत करने में उपयोग किया जा सकता है तथा साथ ही साथ उचित दर पर गुणवत्ता कच्ची सामग्री की आपूर्ति सुनिश्चित करना है। ये सामान्य सुविधा केन्द्र, चुनिंदा आर्थिक कार्यकलाप से संबंधित लघु-उद्यमियों के संगठनों द्वारा स्वयं चलाये जा सकते हैं। उद्यमियों को उच्च गुणवत्ता की लघु उद्यम सलाहकार सेवाएं (एसईएएस) उपलब्ध की जानी चाहिए।

4.3.9. लघु-उद्यमियों को व्यापार आधारित संगठनों / संस्थाओं के विकास करने में प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। मोबाइल वेंडिंग आउटलेट का विकास आईआईटी एवं अन्य प्रसिद्ध संस्थाओं से प्रौद्योगिकी डिजाइन एवं विकास

सहायता के साथ किया जाय। उद्यमों की स्थापना में विभिन्न कार्यकलापों हेतु सुव्यवस्थित संपर्कों पर विशेष ध्यान देते हुए समेकित दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए।

4.3.10. शहरी गरीबों को अपने उद्यम स्थापित करने तथा साथ ही साथ अपने उत्पादों के विपणन हेतु दी जाने वाली प्रौद्योगिकी/ विपणन/ ज्ञान/ अवस्थापना एवं अन्य सहायता के इस घटक पर कुल व्यय यूएसईपी घटक हेतु निर्धारित कुल धनराशि का 10% से ज्यादा न हो।

5. शहरी महिला स्व-सहायता कार्यक्रम (यूडब्ल्यूएसपी)

5.1 इस घटक में दो उप-घटक होंगे:

- (i) शहरी गरीब महिलाओं के समूह के लाभप्रद स्व-रोजगार प्रयास की स्थापना हेतु सहायता यूडब्ल्यूएसपी (ऋण एवं सब्सिडी)
- (ii) शहरी गरीब महिलाओं द्वारा गठित स्व-सहायता दल (एसएचजी) /शिफ्ट एंड क्रेडिट सोसाइटी (टी एंड सी एस) हेतु आवर्ती निधि-यूडब्ल्यूएसपी (आवर्ती निधि)

5.2. शहरी महिला स्व-सहायता कार्यक्रम (ऋण एवं सब्सिडी)

5.2.1. यह स्कीम शहरी गरीब महिलाओं को विशेष प्रोत्साहन देने हेतु प्रतिष्ठित है जो व्यक्तिगत प्रयास के विपरीत, समूह में स्व-रोजगार उद्यम स्थापित करने का निर्णय लेती है। शहरी गरीब महिलाओं का समूह अपने कौशल, प्रशिक्षण, अभिरुचि एवं स्थानीय स्थिति के अनुसार आर्थिक कार्यकलाप शुरु कर सकती है। आय प्राप्त करने के अलावा यह समूह शहरी गरीब महिलाओं को आत्म निर्भर बनाकर सशक्त बनाने का प्रयास करेगा, साथ ही यह स्व-रोजगार के लिए एक सुविधाजनक माहौल मुहैया करायेगा।

5.2.2 इस स्कीम के अंतर्गत सब्सिडी के लिए पात्र होने के लिए, यूडब्ल्यूएसपी समूह में न्यूनतम 5 शहरी गरीब महिला शामिल होनी चाहिए। आय- सृजन कार्यकलाप आरम्भ करने से पहले, सदस्य दल को एक-दूसरे को अच्छी तरह जानना चाहिए और दल कार्य-योजना को समझना चाहिए और दल के प्रत्येक सदस्य की ताकत और क्षमता को भी परख लेना चाहिए। दल, सदस्यों में से एक संयोजक चुनेगा। दल, अपनी गतिविधि भी स्वयं चुनेगा। गतिविधि के चयन में सावधानी बरतनी चाहिए क्योंकि दल का भविष्य उचित चयन पर निर्भर करेगा। जहां तक सम्भव हो, गतिविधियां, नगर शहरी गरीबी उपशमन प्रकोष्ठ द्वारा अनुरक्षित, उस क्षेत्र की निर्धारित परियोजना शेल्फ में से चुनी जानी चाहिए। इसके अलावा, बचत और उधार में गतिशीलता लाकर, दल को स्वयं- सहायता दल या शिफ्ट और क्रेडिट सोसायटी के रूप में स्वयं गठित करने के लिए प्रत्येक प्रयास किए जाने चाहिए।

5.2.3 समूह उद्यम स्थापित करने के लिये यूडब्ल्यूएसपी दल, 3,00,000 रु. या परियोजना लागत का 35% या 60,000 रु., दल के प्रति सदस्य के आधार पर, इनमें से जो भी न्यूनतम हो उस राशि की सब्सिडी का पात्र होगा। शेष धनराशि बैंक लोन और मार्जिन मनी के रूप में व्यवस्थित की जायेगी। यूडब्ल्यूएसपी के प्रचालनात्मक व्यौरों के लिये अनुलग्नक-III देखें —

5.3 शहरी महिला स्वयं- सहायता कार्यक्रम (आवर्ती निधि)

5.3.1. जब यूडब्ल्यूएसपी दल, अपने अन्य उद्यमी कार्यकलापों के अलावा बचत और ऋण में गतिशीलता लाकर स्वयं को स्वयं- सहायता-दल(एसएचजी)/शिफ्ट और क्रेडिट सोसायटी(टी एण्ड सी एस) के रूप में गठन करता है, तो यह एसएचजी / टी और सी एस, 2000 रुपए अधिकतम प्रति सदस्य की दर से 25000/-रु. की एक मुश्त अनुदान राशि आवर्ती कोष के रूप में प्राप्त करने का अधिकारी होगा। यह आवर्ती कोष, एक सामान्य स्वयं-सहायता दल /

श्रिफ्ट और क्रेडिट सोसायटी के लिए भी उपलब्ध होगा, चाहे यह सोसायटी किसी परियोजना कार्यकलाप या यूडब्ल्यूएसपी के अन्तर्गत उद्यम नहीं चलाती है। यह धनराशि एसएचजी/टी और सी एस के ऐसे प्रयोजनों के निमित्त होंगी-

- (i) कच्चे माल की खरीद और विपणन;
- (ii) आय-सृजन और अन्य सामूहिक कार्यकलापों के लिए अवस्थापना सहायता;
- (iii) बाल-देखभाल कार्यकलापों पर एक बार खर्च। स्टाफ के वेतन आदि जैसे आवर्ती व्यय अनुमत नहीं होंगे;
- (iv) बैंकों, कस्बा यूपीए प्रकोष्ठ इत्यादि को दौरा करने के लिए सदस्य दल के यात्रा व्यय को पूरा करने के लिए 500 रुपए से अधिक खर्च न हो ;
- (v) यदि श्रिफ्ट और क्रेडिट सोसायटी / स्व-सहायता समूह का कोई सदस्य सोसायटी के पास सावधि जमा में 12 महीने के लिए कम से कम 500 रुपए की बचत करता है तो सदस्य के लिए स्वास्थ्य / दुर्घटना / अन्य किसी बीमा योजना के प्रति उनकी ओर से 30 रु. की सब्सिडी दी जाएगी — इसके अलावा, यदि कोई सदस्य सावधि जमा में 12 महीने के लिए 750 रुपए की बचत करता है तो वह 60 रुपए की सब्सिडी का पात्र होगा जिसमें से 30 रुपए स्वयं सदस्य के लिए तथा 30 रुपए स्वास्थ्य/ जीवन दुर्घटना किसी अन्य बीमा के प्रति उसके पति के लिए अथवा 30 रुपए स्वास्थ्य/ दुर्घटना बीमा के लिए उस परिवार में किसी अवयस्क लड़की के लिए होंगे — यह व्यय भी आवर्ती निधि के नामे डाला जाएगा,
- (vi) दिशानिर्देशों पर आधारित, राज्य /शहरी स्थानीय निकाय द्वारा अनुमान कोई अन्य व्यय, जिसे सोसायटी या समूह के हित में आवश्यक समझा जायें —

5.3.2 यूडब्ल्यूएसपी के अन्तर्गत एक स्वयं-सहायता दल/ श्रिफ्ट और क्रेडिट सोसायटी अपने गठन के एक वर्ष के बाद ही आवर्ती कोष के भुगतान के लिये पात्र होगा। दूसरे शब्दों में, इस प्रकार की केवल वही संस्था जो कम से कम एक वर्ष से कार्य कर रही हैं, आवर्ती कोष के भुगतान के लिए पात्र होगी। कोई समूह मौजूद है और यह एक साल से अधिक समय से कार्य कर रहा है, यह निर्णय बैठकों की संख्या, समूह द्वारा बचत के लिए सदस्यों से ली गई धनराशि, बचत की नियमितता, क्षमता निर्माण में समूह की भूमिका अथवा इसके सदस्यों का प्रशिक्षण इत्यादि के संबंध में समूह के रिकार्ड की जांच के आधार पर किया जाएगा। दलों के पंजीकरण को प्रोत्साहन किया जाएगा। तथापि, इसे आवर्ती कोष की प्राप्ति के लिए एक पूर्वशर्त के रूप में जोर नहीं दिया जाए यदि उनका परफार्मेंस, शहरी स्थानीय निकाय(यूएलबी) के शहरी गरीबी उपशमन प्रकोष्ठ(यूपीए) द्वारा संतोषजनक समझा जाता है। क्लस्टर/वार्ड/शहरी स्तर पर एसएचजी/टी और सीएस के संघ को, आवर्ती कोष, बैंक साख इत्यादि के प्रवाह हेतु पंजीकरण किए जाने की आवश्यकता होगी। राज्य / संघशासित राज्य, दलों द्वारा आवर्ती कोष लाभ की प्राप्ति हेतु पात्रता मानदण्ड निर्धारित करते हुए दिशानिर्देश जारी करेंगे।

5.3.3 स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के अंतर्गत स्वयं सहायता दल / श्रिफ्ट और क्रेडिट सोसायटी को बैंकों से जोड़ने को प्राथमिकता दी जाएगी। एसएचजी/ टी और सी एस को अपने निष्पादन के आधार पर अपनी अपेक्षाओं के लिए बैंक से उधार लेने के लिए प्राथमिकता दी जाएगी। महिलाओं के स्वयं सहायता दलों को लघु वित्तपोषण करवाने के लिये, लघु साख क्षेत्र में सक्रिय वित्तीय संस्थानों / सहकारी संस्थाओं / सहकारी बैंक / गैर सरकारी संगठनों तथा अन्य लघु वित्तीय संस्थानों यथा राष्ट्रीय महिला कोष (आर.एम.के.), सेवा, नाबार्ड, सिडबी, आई.सी.आई.सी.आई बैंक इत्यादि, की भागीदारी के लिये, राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों को आवश्यक फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान की गई है — इस संबंध में आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय द्वारा उचित दिशानिर्देश समय-समय पर जारी किए जा सकते हैं। स्वयं सहायता दलों / श्रिफ्ट और क्रेडिट सोसायटी के प्रचालन के सांकेतिक सिद्धान्त अनुलग्नक -III में दिए गए हैं।

6. शहरी गरीबों को रोजगार वृद्धि हेतु कौशल प्रशिक्षण (एसटीईपी-यूपी) (स्टेप-अप)

6.1 स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के इस घटक में शहरी गरीबों के कौशल निर्माण/ उन्नयन हेतु सहायता मुहैया कराने पर जोर दिया जाएगा ताकि वे स्वःरोजगार चलाने के साथ-साथ बेहतर वेतनभोगी रोजगार प्राप्त करने के लिए अपनी क्षमता बढ़ा सकें।

6.2 यूएसईपी की तरह, एसटीईपी-यूपी में योजना आयोग द्वारा यथा परिभाषित गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली शहरी जनसंख्या को लक्ष्य बनाया जाएगा। स्टेप-अप के अंतर्गत महिला लाभार्थियों का प्रतिशत 30% से कम नहीं होगा। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियां / गरीबी रेखा से नीचे की शहरी / कस्बा जनसंख्या में न्यूनतम अपनी संख्या के अनुपात की मात्रा तक लाभान्वित की जाएंगी। इस कार्यक्रम के अंतर्गत, विभिन्न योग्यताएं रखने वाले व्यक्तियों के लिए 3% आरक्षण का विशेष प्रावधान किया जाना चाहिए। अल्पसंख्यकों के कल्याण हेतु प्रधानमंत्री के नए 15-सूत्री कार्यक्रम की दृष्टि से शहरी गरीबों को रोजगार वृद्धि हेतु कौशल प्रशिक्षण (एसटीईपी-यूपी) के अंतर्गत राष्ट्रीय स्तर पर अल्पसंख्यक समुदायों के लिए 15% भौतिक और वित्तीय लक्ष्य निर्धारित किए जाएंगे।

6.3. एसटीईपी-यूपी में शहरी गरीबों को विभिन्न प्रकार की सेवा, व्यापार और उत्पादन गतिविधियों के साथ-साथ स्थानीय कौशल और स्थानीय दस्तकारी में प्रशिक्षण मुहैया कराने का लक्ष्य है जिससे कि वे स्वरोजगार उद्यम लगा सकें या बेहतर पारिश्रमिक सहित वेतन भोगी रोजगार सुनिश्चित कर सकें। निर्माण क्षेत्र और अन्य सम्बद्ध सेवाओं जैसे कि बढाईगिरी, प्लंबिंग, विद्युत तथा स्थानीय सामग्री का प्रयोग करते हुए बेहतर या लागत प्रभावी प्रौद्योगिकी, पर आधारित कम लागत भवन सामग्री तैयार करने जैसे सेवा क्षेत्रों के महत्वपूर्ण घटकों में भी प्रशिक्षण प्रदान किया जाना चाहिए।

6.4 कौशल प्रशिक्षण को प्राधिकृत करने और प्रमाणीकरण से सम्बद्ध किया जाए और आईआईटी, एनआईटी, उद्योग संघ, उत्कृष्ट इंजीनियरिंग कालेज, प्रबन्धन संस्थाओं, संस्था और अन्य उत्कृष्ट एजेन्सियों जैसे श्रेष्ठ संस्थानों के योगदान से सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) को प्राथमिकता दी जाए। प्रशिक्षण संस्थानों जैसे कि आईटीआई / बहु तकनीकी संस्थानों / श्रमिक विद्यापीठ, इंजीनियरिंग कालेज और सरकार, निजी या स्वैच्छिक संगठनों का लाभ उठाया जाए और उनकी ब्रांड की साख और जारी निर्देशों की गुणवत्ता की जांच के अध्यक्षीन शहरी गरीबों के कौशल प्रशिक्षण मुहैया कराने के लिए उचित सहायता की जाए। राज्यों / संघ राज्यों में आवास एवं शहरी विकास निगम(हडको) बिल्डिंग मैटीरियल टेक्नोलॉजी प्रमोशन काउन्सिल (बीएमटीपीसी) द्वारा पोषित निर्मिति केन्द्रों की सेवाओं का लाभ स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार निर्माण संबंधी प्रशिक्षण के प्रयोजन हेतु उठाया जा सकता है।

6.5 प्रशिक्षण हेतु औसत इकाई लागत 10,000/- प्रति प्रशिक्षणार्थी से अधिक नहीं होगी, जिसमें मैटिरियल लागत, प्रशिक्षण शुल्क, टूल किट लागत, प्रशिक्षण संस्थान द्वारा वहन किए जाने वाले अन्य विधि खर्च और प्रशिक्षणार्थी को दिया जाने वाला मासिक वजीफा शामिल है। शहरी गरीबों के लिए रोजगार बढ़ाने हेतु कौशल प्रशिक्षण के लिए निदेशात्मक परिचालन ब्यौरा अनुलग्नक-V में है।

7. शहरी मजदूरी रोजगार कार्यक्रम (यूडब्ल्यूईपी)

7.1 इस कार्यक्रम में शहरी स्थानीय निकायों के अधिकार क्षेत्र में गरीबी रेखा से नीचे जीने वाले लाभार्थियों द्वारा सामाजिक और आर्थिक रूप से उपयोगी सार्वजनिक परिसम्पत्तियों के निर्माण हेतु उनके श्रम का प्रयोग करके उन्हें मजदूरी रोजगार मुहैया करवाने की अपेक्षा की गई है। ये परिसम्पत्तियां सामुदायिक अवसंरचना द्वारा निर्धारित कम्यूनिटी सेन्टर, वर्षा जल निकास, सड़कें, रात्री निवास, मिड-डेमील स्कीम के तहत प्राथमिक पाठशालाओं में किचन शेड और अन्य सामुदायिक आवश्यकताओं जैसे पार्क, ठोस कचरा प्रबंधन व्यवस्था के रूप में हो सकती है। शहरी

मजदूरी रोजगार कार्यक्रम(यूडब्ल्यूईपी) केवल उन कस्बों / शहरों पर लागू होगा जिनकी आबादी 1991 की जनगणना के अनुसार 5 लाख तक है।

7.2 सामुदायिक परिसम्पत्तियों के निर्माण द्वारा यूडब्ल्यूईपी मजदूरी रोजगार हेतु विशेषतः अकुशल और अर्द्धकुशल प्रवासियों / निवासियों के लिए अवसर मुहैया करवाएगा। स्थानीय कम्युनिटी के प्रबल रूप से शामिल होने तथा भागीदारी सहित निम्न आय क्षेत्रों में सामुदायिक परिसम्पत्तियों के निर्माण पर विशेष बल होगा।

7.3 इस कार्यक्रम के तहत निर्माण हेतु मैटिरियल: लेबर का अनुपात 60:40 होगा। तथापि, राज्य / संघ राज क्षेत्र इस मैटिरियल : लेबर अनुपात में 10%(दोनों तरफ) की छूट दे सकते हैं। इस कार्यक्रम के तहत प्रत्येक क्षेत्र हेतु समय- समय पर अधिसूचित, व्याप्त निम्नतम मजदूरी दर लाभार्थियों को दी जाएगी।

7.4 सामुदायिक विकास समितियां (सीडीएस) अपने क्षेत्रों में मौजूद मूलभूत न्यूनतम सेवाओं का सर्वेक्षण करेंगी और उनकी सूची तैयार करेगी। अविद्यमान मूलभूत न्यूनतम सेवाओं की पहले पहचान की जाएगी। भौतिक अवसंरचना की अन्य आवश्यकताओं को इसके बाद सूचीबद्ध किया जाएगा।

7.5 जहां तक संभव हो, कार्य का निष्पादन, शहरी स्थानीय निकायों के सामान्य नियंत्रण और पर्यवेक्षण के तहत सीडीएस द्वारा किया जाना चाहिए। शहरी स्थानीय निकायों से निर्माण की भी गुणवत्ता पर अधिक ध्यान रखने की अपेक्षा की जाती है। कार्य विभागीय रूप से किया जाना चाहिए और मस्टर रोल, के रख-रखाव सामाजिक लेखापरीक्षा इत्यादि के संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश संबद्ध राज्य / संघ राज्य क्षेत्र सरकारों द्वारा जारी किए जाएंगे। जहां तक संभव हो, यहां तक की कार्य के सामग्री घटक विभागीय रूप से किए जाने चाहिए। जहां पर, विशिष्ट प्रकृति के कार्य के कारण विभागीय कार्य संभव नहीं है, वहां इस तरह के कार्य के सामग्री घटक, समुचित टेंडरिंग/ सरकारी प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए एजेंसियों द्वारा पूरा किया जाएगा।

7.6 सभी मामलों में यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि यूडब्ल्यूईपी के तहत शुरू किया गया कार्य एक सुरक्षित स्थिति तक लाया जाय और कोई भी कार्य अधूरा या लम्बित नहीं है। लागत वृद्धि के मामले में अथवा कार्य की प्रकृति में विस्तार, अथवा किसी भी कारण से परियोजना अनुमान में वृद्धि और यदि इस कार्यक्रम के तहत अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध नहीं है तो यह अनुमोदन एथोरिटी / कार्यान्वयन एथोरिटी अर्थात् शहरी स्थानीय निकाय/ जिला शहरी विकास एजेंसी की मूल जिम्मेदारी होगी कि वह आवश्यकता होने पर अन्य कार्यक्रमों / स्व स्रोतों से अतिरिक्त संसाधनों द्वारा इस तरह के कार्य को सम्पन्न करना सुनिश्चित करेगी।

7.7 मजदूरी रोजगार का बहुत कम प्रयोग किया जाना चाहिए, केवल उस अल्पावधि हेतु जब तक लाभार्थी स्व-रोजगार कार्य अथवा औपचारिक क्षेत्र में रोजगार हेतु कौशल विकास के लाभों को प्राप्त करने में सक्षम न हो।

8. शहरी सामुदायिक विकास नेटवर्क (यूसीडीएन)- सामुदायिक अवसंरचना, सामुदायिक विकास और अधिकारिता

8.1 स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एसजेएसआरवाई) सामुदायिक विकास और अधिकारिता के आधार पर निर्भर होगी। टॉप-डाउन कार्यान्वयन की पारम्परिक विधि पर निर्भर होने की बजाए, स्कीम, सामुदायिक संगठनों और अवसंरचनाओं के गठन और पोषण पर निर्भर होनी चाहिए जिससे सतत शहरी गरीबी उपशमन में सहायता मिलेगी। इसके लिये, लक्षित क्षेत्रों में सामुदायिक संगठनों जैसे परिवेश दलों (एनएचजी), परिवेश समितियों (एनएचसी) और सामुदायिक विकास सोसाइटियों (सीडीएस) को स्थापित किया जाएगा। इन सामुदायिक अवसंरचनाओं का ब्यौरा अनुलग्नक-VI में है। लाभार्थियों की पहचान, ऋण और सब्सिडी प्रार्थनापत्रों की तैयारी, वसूली की जांच और कार्यक्रम हेतु आवश्यक किसी भी तरह की सहायता मुहैया करवाने के लिए सीडीएस केन्द्र बिन्दु

होगा। सीडीएस, क्षेत्र हेतु समुचित व्यवहार्य परियोजनाओं की भी पहचान करेगा। महिला स्व-सहायता समूहों को प्रोत्साहन एक महत्वपूर्ण कार्रवाई होगी जो सीडीएस द्वारा की जाएगी।

8.2 सामुदायिक बचत और अन्य समूह क्रिया-कलापों को प्रोत्साहित करने हेतु, सामुदायिक अवसंरचनाएँ स्वयं को स्व-सहायता समूहों(एनएचजी)/ थ्रिफ्ट एण्ड क्रेडिट सोसायटी के रूप में स्थापित कर सकती है। तथापि, स्व-सहायता समूह और थ्रिफ्ट एण्ड क्रेडिट सोसायटी सीडीएस से अलग रूप में भी स्थापित की जा सकती है। सीडीएस, विभिन्न सामुदायिक आधारित संगठनों का संघ होने के नाते, स्व-सहायता समूहों और थ्रिफ्ट एण्ड क्रेडिट के प्रमोशन हेतु नोडल एजेंसी हो सकती है। यह आशा की जाती है कि सीडीएस अपने क्षेत्र में शामिल सामाजिक क्षेत्र के समग्र समूह पर बल देगा परन्तु यह बल विभिन्न सीमा विभागों द्वारा कार्यान्वित की जा रही विभिन्न स्कीमों के बीच अभिसरण द्वारा स्थापित आजीविका, कौशल विकास, आश्रय, जल, सफाई व्यवस्था, स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा कल्याण इत्यादि तक ही सीमित नहीं होगा।

8.3 सामुदायिक स्तर पर, लगभग 2,000 चिन्हित परिवारों हेतु एक सामुदायिक संगठनकर्ता लगाया जा सकता है। यह सामुदायिक संगठनकर्ता यथा सम्भव, एक महिला होना चाहिए। वह एक पूर्णकालिक कार्यकर्ता होनी चाहिए। यदि पहले के कार्यक्रमों के तहत भर्ती नहीं हुई है तो सीओ को कांटेक्ट के आधार पर लगाया जा सकता है। इसे शिक्षा और अनुभव के आधार पर समुचित मेहनताना दिया जाना चाहिए।

8.4 यूएलबी स्तर पर सामुदायिक संगठनकर्ता शहरी गरीबी समुदाय (सीडीएस द्वारा प्रस्तुत) और कार्यान्वयन मशीनरी अर्थात् शहरी गरीबी उपशमन प्रकोष्ठ के मध्य मुख्य कड़ी होगा। स्कीम की सफलता सीओ के कार्य पर निर्भर करती है। सीओ की निम्न मुख्य जिम्मेदारियाँ होगी:

- (i) स्वैच्छिक सेवा को सुसाध्यकर बनाना और बढ़ाना और सामुदायिक /अवसंरचना/समूहों का संगठन करना;
- (ii) कम्युनिटी की आवश्यकताओं के निर्धारण में मार्गदर्शन करना और सहायता करना, सामुदायिक अवसंरचनाओं का संगठन, सामुदायिक दृष्टि विकसित करना और सामुदायिक विकास कार्य योजना को बनाना;
- (iii) स्लम, हाऊस होल्ड और लाइवलीहुड का सर्वेक्षण करवाना और शहरी गरीबी और उनकी जरूरतों पर डाटा बेस तैयार करना;
- (iv) एसजेएसआरवाई और संबंधित कार्यक्रमों अथवा क्रियाकलापों के कार्यान्वयन और निगरानी हेतु कम्युनिटी के साथ कार्य करना;
- (v) शहरी गरीबों की कौशल आवश्यकताओं का निर्धारण तथा कौशल विकास प्रशिक्षण और प्रशिक्षण-उपरान्त हैंडहोल्डिंग को उपलब्ध कराना —
- (vi) समुदाय के साथ उनके कार्यक्रमों के समर्थन में प्रारंभिक संपर्क करने के लिए क्षेत्रीय विभागों के साथ संपर्क।
- (vii) समुदाय स्तर प्रशिक्षण, सूचना के आदान प्रदान, अनुभव के आदान प्रदान समुदाय दक्षता वृद्धि कार्यक्रमों आदि के माध्यम से समुदाय सशक्तिकरण
- (viii) स्वरोजगार उद्यमों के लिए उपयुक्त लाभार्थियों का चयन, सीडीएस द्वारा लाभार्थियों के नाम अनुमोदित होने के बाद बैंक ऋण प्राप्त करने के लिए आवेदनपत्र तैयार करना तथा आवेदनपत्रों का अंतिम रूप से निपटान होने तक शहरी स्थानीय निकायों/बैंकों/प्रशासन के साथ अनुवर्ती कार्रवाई।
- (ix) वित्त प्राप्त लाभार्थियों के स्वरोजगार उद्यमों की प्रगति के साथ-साथ समय पर ऋण वापसी आदि की मानीटरिंग के लिए नियमित अनुवर्ती कार्रवाई।
- (x) शहरी निर्धनता उपशमन/उन्मूलन का लक्ष्य आगे बढ़ाने के लिए सौंपा जाने वाला अन्य कोई कार्य।

8.5 समुदाय संरचनाओं तथा समुदाय विकास नेटवर्क के सुदृढीकरण के लिए यूसीडीएन घटक के तहत अलग से धनराशि रिलीज की जा सकती है। इस धनराशि का उपयोग समुदाय संगठकों (सीओ) के भत्ते/मानदेय पर,

एनीमेटर्स, जागरुकता शिविर/कार्यशाला/सेमिनार/सम्मेलन/बैठकों सहित समुदाय एकत्रीकरण मशीनरी, जिसमें सीओ, समुदाय आधारित संगठन(सीबीओ), गैर सरकारी संगठन तथा अन्य हितबद्ध शामिल हों, सीडीएस के विविध रोजमर्रा कार्यकलापों आदि तथा समुदाय विकास एवं सशक्तिकरण से जुड़े अन्य किसी कार्य/परियोजना जैसे सर्वेक्षण शहरी निर्धनता उपशमन नीति, स्लम विकास प्लान और समुदाय स्तर के माइक्रो-प्लान व मिनी-प्लान, सामाजिक ऑडिट आदि पर होने वाले खर्च को पूरा करने के लिए किया जा सकता है।

9. कार्यक्रम कार्यान्वयन - प्रशासनिक व अन्य व्यय (एएंडओई)

9.1 राज्यों को अनुत्पादक व्यय को कम करने का प्रयास करना चाहिए। एसजेएसआरवाई के अंतर्गत कुल 5% राज्य/संघ शासित प्रदेश नियतन का उपयोग/वितरण प्रशासनिक इकाइयों तथा कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा प्रशासनिक एवं अन्य व्यय के प्रयोजनार्थ किया जा सकता है। तथापि, शहरी निर्धनों से संबंधित सभी केन्द्रीय /राज्य सरकार कार्यक्रमों का स्थानीय स्तर पर सम्मिलन किया जाए तथा शहरी निर्धनों के लक्ष्य वाली सभी योजनाओं से एएंडओई धनराशि एकत्रित की जाए ताकि नगर/कस्बा यूपीए सैल की स्थापना लागत और अन्य अपेक्षित व्यय पूरे करने के लिए पर्याप्त एएंडओई धनराशि उपलब्ध हो।

9.2 एसजेएसआरवाई के कार्यान्वयन के लिए एक उपयुक्त प्रशासनिक ढांचे अथवा तंत्र की संकल्पना की गई है। राज्य/संघ शासित प्रदेश सुनिश्चित करेंगे कि जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन जैसे अन्य कार्यक्रमों का एसजेएसआरवाई के साथ समुचित समन्वय हो ताकि वे परस्पर पूरक बनें और प्रशासनिक पुनरावृत्ति अथवा अनावश्यक खर्च न हो।

9.3 शहरी स्थानीय निकाय स्तर पर नगर निगम/नगरपालिका के कार्यकारी अधिकारी अथवा आयुक्त की अध्यक्षता में एक कस्बा शहरी गरीबी उपशमन सैल(यूपीए सैल) होगा जिसमें सहायता के लिए एक परियोजना अधिकारी/सहायक परियोजना अधिकारी होगा। शहरी स्थानीय निकाय के अंतर्गत सभी सीडीएस तथा सीओ के कार्यकलापों के समन्वयन हेतु परियोजना अधिकारी/सहायक परियोजना अधिकारी उत्तरदायी होगा। यह सैल सीडीएस, शहरी स्थानीय निकाय तथा संबंधित विभागों के कार्यकलापों के बीच तालमेल के लिए उत्तरदायी होगा। यूपीए सैल पहले समुदाय संरचनाओं की स्थापना हेतु शहरी निर्धन बस्तियों तथा क्षेत्रों का चयन करेगा। यूपीए सैल/परियोजना अधिकारी /सहायक परियोजना अधिकारी के अन्य कार्यों में सीडीएस तथा सीओ के कार्यों का दिशानिर्देशन व मॉनीटरिंग, शहरी स्थानीय निकाय के निर्धनता उप-प्लान तैयार करने हेतु सहायता देना और शहरी निर्धनों के लिए बजट(पी-बजट), स्लमों, परिवार तथा आजीविका सर्वेक्षण कराना, विभिन्न स्कीमों के लिए लाभार्थियों का चयन, बैंक-स्वसहायता दलों के संपर्क को बढ़ावा देना, 74वीं संशोधन अधिनियम के तहत समुदाय संरचनाओं तथा शहरी स्थानीय निकाय संरचनाओं के बीच संपर्क स्थापित करना, विभिन्न विकास कार्यक्रमों के बीच सामंजस्य, नगर स्तर पर मानव व वित्तीय संसाधन जुटाना तथा उपयुक्त एम.आई.एस. / ई-गवर्नेन्स टूल आदि द्वारा कार्यक्रमों की मॉनीटरिंग करना शामिल है।

9.4 जिला स्तर पर स्कीम का समन्वय करने और जिले में सभी शहरी स्थानीय निकायों के लिए क्षमता निर्माण कार्य शुरु करने के लिए एक जिला शहरी विकास एजेंसी अर्थात् डीयूडीए अथवा जिला एजेंसी/तंत्र होगा। इसका अध्यक्ष जिला परियोजना अधिकारी होगा जिसकी सहायता के लिए यथापेक्षित स्टाफ होगा। डीयूडीए अथवा जिला एजेंसी संविधान के 74वीं संशोधन अधिनियम के अनुसार जिले में गठित जिला आयोजना समिति के साथ भी सहयोग करेगी। यह शहरी गरीबी उपशमन तथा संबंधित कार्यक्रमों का प्रभावी कार्यान्वयन करने हेतु संबद्ध विभागों के साथ संपर्क करेगी। लघु व्यापार केंद्र (एमबीसी) की स्थापना तथा कार्यप्रणाली की मॉनीटरिंग डीयूडीए अथवा जिला एजेंसी द्वारा राज्यों/संघ शासित प्रदेशों द्वारा जारी दिशानिर्देशों के आधार पर की जाएगी।

9.5 एसजेएसआरवाई के तहत स्वरोजगार कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए डीयूडीए/जिला एजेंसी बैंकों के साथ समन्वय भी करेगी। लाभार्थी/व्यवसाय चयन स्तर से ही बैंक अधिकारियों को कार्यान्वयन प्रक्रिया में भागीदार बनाया जाए ताकि शहरी निर्धनों अथवा उनके समूहों के लघु उद्यमों हेतु ऋण स्वीकार करने में कोई

समस्या न हो। जिला स्तर पर जिला स्तरीय बैंक समिति जिसमें जिला अधिकारी तथा बैंक अधिकारी शामिल होंगे, योजना की मॉनीटरिंग करेगी। पीएमईजीपी तथा एसजेएसआरवाई के बीच पुनरावृत्ति को रोकने के लिये डीयूडीए / जिला एजेन्सी, जिला उद्योग केन्द्र, जो कि पीएमईजीपी के लिये कार्यान्वयन एजेन्सी है तथा शहरी स्थानीय निकायों में यूपीए सेल, जो एसजेएसआरवाई के लिए कार्यान्वयन एजेन्सी है, के कार्यों के बीच समन्वय करेगी। इस प्रकार प्रत्येक कार्यक्रम कार्यान्वयन एजेंसी दूसरी एजेंसी के कार्यक्षेत्र की जानकारी रखेगी और अपनी

जानकारी देगी ताकि पीएमईजीपी तथा एसजेएसआरवाई के बीच सेवाओं, प्रयासों व लाभार्थी लाभान्वयन की पुनरावृत्ति को रोका जा सके।

9.6 राज्य/संघ शासित प्रदेश स्तर पर राज्य शहरी विकास अभिकरण(एसयूडीए)/राज्य यूपीए सैल/राज्य/संघ शासित सरकार का नगरपालिका प्रशासन निदेशालय जैसा विभाग जो शहरी स्थानीय निकायों के कार्यों से सम्बद्ध हो तथा जिसके पास उपयुक्त स्टाफ तथा लाजीस्टिक सहायता हो, को एसजेएसआरवाई सहित सभी शहरी गरीबी उपशमन कार्यक्रमों के लिए राज्य/संघ शासित प्रदेश नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया जाएगा। राज्य/संघ शासित नोडल एजेंसी, कार्यक्रम का दिशानिर्देशन तथा मानीटरिंग करेगी, उपयुक्त नीतिनिर्देश देगी, शहरी निर्धनों को प्रभावित करने वाली नीतियों तथा कार्यक्रमों का समन्वय करेगी तथा राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के साथ संपर्क करेगी। केन्द्रीय धनराशि इस राज्य/संघ शासित नोडल एजेंसी को दी जाएगी जो आगे यह राशि योजना कार्यान्वयन हेतु डीयूडीए/शहरी स्थानीय निकायों को वितरित करेगी। यह नोडल एजेन्सी राज्य/संघ शासित सरकार द्वारा सादृश्य राज्य अंश, जहां कहीं आवश्यक हो, की अदायगी सुनिश्चित करेगी। एसजेएसआरवाई के लिए नामित राज्य नोडल अधिकारी की अध्यक्षता में राज्य नोडल एजेंसी की सहायता के लिए गरीबी उपशमन, आजीविका, स्लम विकास/पुनर्विकास, समुदाय सहयोग, सामाजिक विकास, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण आदि क्षेत्रों के विशेषज्ञ होंगे।

9.7 स्थानीय स्तर पर स्कीम के अंतर्गत समुदाय संरचनाओं(जैसे एनएचजी, एनएचसी, सीडीएस आदि) की स्थापना धीरे-धीरे चरणबद्ध रूप से शहरी निर्धन क्षेत्रों/बस्तियों में की जाएगी ताकि एक निर्धारित समय सीमा में समस्त शहरी निर्धन आबादी को कवर किया जा सके। इस प्रकार धनराशि की उपलब्धता के हिसाब से प्रशासनिक एवं अन्य व्यय क्रमशः किये जा सकते हैं। राज्य/संघ शासित प्रदेश जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन(जेएनएनयूआरएम) के तहत उपलब्ध सुविज्ञता/संरचना के साथ एसजेएसआरवाई के कार्यान्वयन तंत्र का सामंजस्य सुनिश्चित करेंगे ताकि उपलब्ध संसाधनों का अधिकतम उपयोग किया जा सके।

9.8. राज्य/संघ शासित प्रदेश स्तर पर शहरी स्थानीय निकाय/सूडा के प्रभारी, सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय मानीटरिंग समिति गठित की जाएगी तथा इसमें संबंधित विभागों, बैंकों, लघुवित्त संस्थानों, सिविल सोसाइटी संगठनों और अन्य हितबद्ध पक्षों के सदस्य होंगे ताकि स्कीम को कारगर ढंग से दिशा दी जा सके और इसकी निगरानी हो सके। यह समिति प्रत्येक तीन माह में कम से कम एक बार बैठक करेगी।

9.9. राष्ट्रीय स्तर पर आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय नोडल मंत्रालय होगा। एसजेएसआरवाई की निगरानी तथा देखरेख आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय में यूपीए प्रभाग देखेगा। सचिव (एचयूपीए) की अध्यक्षता में एक संचालन दल केन्द्रीय स्तर पर स्कीम को दिशा देगा तथा इसकी निगरानी करेगा। इसमें राज्यों/संघ शासित प्रदेशों, वित्त मंत्रालय, अन्य

मंत्रालयों, भारतीय रिजर्व बैंक और हितबद्ध पक्षों से सदस्य शामिल होंगे। यह समिति प्रत्येक तीन माह में कम से कम एक बैठक करेगी।

9.10. राष्ट्रीय स्तर पर स्कीम की प्रगति की निगरानी राज्यों/संघ शासित प्रदेशों से तिमाही प्रगति रिपोर्टों के जरिए की जाएगी। इसके अतिरिक्त आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा फील्ड दौरे जिनमें चुनिंदा संसाधन केंद्रों/एजेंसियों द्वारा सहायता दी जाएगी, नियमित आधार पर किए जाएंगे ताकि आधारभूत स्तर

पर वास्तविक कार्यान्वयन की समीक्षा की जा सके। स्कीमों के निष्पादन की समीक्षा के लिए राष्ट्रीय /राज्य स्तर पर भी आवधिक समीक्षा बैठकें की जाएंगी।

9.11. शहरी गरीबी उपशमन/समुदाय मोबिलाइजेशन और डेवलपमेंट में विशेषज्ञता रखने वाले अधिकारियों का एक निर्धारित कैडर/सेवा गठित की जाएगी ताकि राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में शहरी गरीबी उपशमन और संबंधित कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में सहायता दी जा सके। इन अधिकारियों की नियुक्ति शहरी स्थानीय निकाय/जिला/राज्य स्तर पर की जाएगी और इनके लिए उपयुक्त प्रोन्नति के अवसर होंगे। ये व्यावसायिक दृष्टिकोण के अनुसार स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एसजेएसआरवाई) सहित विभिन्न शहरी गरीबी उपशमन स्कीमों का कार्यान्वयन करेंगे।

9.12. राज्य/संघ शासित प्रदेश इन दिशानिर्देशों के आधार पर राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में एसजेएसआरवाई के कार्यान्वयन के लिए विस्तृत प्रक्रियात्मक दिशानिर्देश निर्धारित कर सकते हैं। तथापि, यह सुनिश्चित करने का ध्यान रखा जाना चाहिए कि सूडा/राज्य यूपीए प्रकोष्ठ/राज्य नोडल एजेंसी/डूडा/यूएलबी/नगर यूपीए प्रकोष्ठ स्थानीय पहल प्रयास को प्रोत्साहित करने के केवल सुविधाता की भूमिका निभाएं और शहरी सामुदायिक विकास की भागीदारी प्रक्रिया ढांचे में लचीलापन लाएं।

9.13. प्रख्यात समुदाय आधारित संगठनों(सीबीओ)/गैर सरकारी संगठनों(एनजीओ) को बीपीएल आबादी के लाभार्थी विभिन्न क्रियाकलापों जैसे समुदाय जुटाना, सामुदायिक ढांचे का संगठन, लाभार्थियों की पहचान कौशल प्रशिक्षण, बाजार सर्वेक्षण, उद्यमिता विकास आदि के संबंध में स्कीम के कार्यान्वयन में शामिल किया जा सकता है। सीबीओ/एनजीओ को शामिल करने के लिए प्रक्रियात्मक दिशानिर्देशों का निर्धारण आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय द्वारा समय-समय पर किया जाएगा।

10. सूचना, शिक्षा तथा संचार (आई ई सी)

10.1. केन्द्रीय स्तर पर स्कीम के लिए कुल नियतन का 3% तक की राशि आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय द्वारा सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) कार्यकलापों, जैसे शहरी गरीबी राष्ट्रीय कोर ग्रुप को सहायता, शहरी गरीबी उपशमन हेतु राष्ट्रीय क्षमता निर्माण कार्यक्रम के तहत अनुसंधान और क्षमता विकास कार्यकलापों, प्रशिक्षण माड्यूलों के विकास, संसाधन केंद्रों का राष्ट्रीय तंत्र के तहत अभिज्ञात संसाधन केंद्रों को सामग्रियां और कार्यकलाप आधारित सहायता देने, स्लम/बीपीएल/आजीविका सर्वेक्षणों, डाटाबेस और एमआईएस विकास, बाजार अनुसंधान, विज्ञापन और प्रचार अभियान आदि के लिए रखा जाएगा।

10.2. मंत्रालय द्वारा आईईसी राशियों का उपयोग शहरी गरीबी उपशमन स्कीमों के कार्यान्वयन में शामिल कार्यकर्ताओं/अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों तथा भारत में और विदेशों में परस्पर दौरों, शहरी गरीबी, आजीविका और संबंधित मामलों से संबंधित संगोष्ठियों/कार्यशालाएं आयोजित करने, मंत्रालय/राष्ट्रीय संसाधन केंद्रों/प्रशिक्षण संस्थानों में आईईसी कार्यक्रमों की देखरेख के लिए निर्धारित प्रकोष्ठों के सृजन/उनकी सहायता हेतु लॉजिस्टिक सहायता देने, शहरी गरीबी और आजीविका के उभरते मामलों को देखने वाले मेयर फोरम, सिटी मैनेजर फोरम और रिसर्चर कॉलोकियम जैसे समर्थन मंचों की सहायता करने, शहरी गरीबी उपशमन की श्रेष्ठ पद्धतियों पर सूचना/डाक्यूमेंटेशन, सूचना का डाटाबेस और कंप्यूटरीकरण, शहरी गरीबी उपशमन स्कीमों से संबंधित प्रचार उपायों और विज्ञापन अभियानों और आवास तथा शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय द्वारा यथा निर्धारित शहरी गरीबी से संबंधित किसी भी अन्य कार्य के लिए उपयोग किया जा सकता है। एसजेएसआरवाई के तहत राशियां जारी करने/आईईसी हेतु राशियों के उपयोग और संबंधित कार्यकलापों के लिए प्रक्रियात्मक दिशानिर्देशों का निर्धारण आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय द्वारा समय-समय पर किया जाएगा।

10.3. राज्य स्तर पर भी, राज्य /संघ शासित प्रदेश अपने कुल वार्षिक नियतन का 3% तक राशि अनुसंधान और प्रशिक्षण सहित आईईसी कार्यकलापों/संगोष्ठियों तथा कार्यशालाओं, स्वम/ बीपीएल/ आजीविका सर्वेक्षणों, राज्य नोडल एजेंसी, राज्य संसाधन केंद्रों /प्रशिक्षण संस्थानों में आईईसी कार्यकलापों की देखरेख के लिए निर्धारित प्रकोष्ठों की सहायता, बाजार अनुसंधान, मूल्यांकन अध्ययन, स्कीमों के प्रचार आदि के लिए उपयोग की जा सकती है। तथापि, राज्यों/संघ शासित प्रदेशों द्वारा यह सुनिश्चित करने का ध्यान रखा जाएगा कि आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय तथा इस संबंध में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय संस्थानों द्वारा उपलब्ध कराई गई सामग्रियों का पूरा उपयोग किया जाएगा। एसजेएसआरवाई के तहत आईईसी कार्यकलापों में समुदाय आधारित संगठनों और गैर सरकारी संगठनों को यथोचित ढंग से शामिल किया जाएगा।

10.4. केन्द्रीय स्तर पर, इस प्रयोजन के लिए अभिनामित राष्ट्रीय संसाधन केन्द्र के जरिए स्कीम के कार्यान्वयन में शामिल अधिकारियों/कार्यकलापों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय, राष्ट्रीय संसाधन केन्द्र नेटवर्क की सहायता से राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तरों पर ऐसे प्रशिक्षण कार्यकलापों का समन्वयन करेगा।

10.5. राज्य/संघ शासित प्रदेश स्तर पर राज्य/संघ शासित प्रदेश इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन में शामिल कार्मिकों के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के लिए कार्यक्रम आयोजित कर सकते हैं चाहे वे राज्य सरकार कर्मचारी, यूएलबी कर्मचारी, सीओ, सीडीएस कार्यकर्ता हों या कोई भी अन्य हितबद्ध पक्ष हों। राज्यों द्वारा तैयार प्रशिक्षण सारणियां और कार्यक्रमों को आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय द्वारा तैयार शहरी गरीबी उपशमन हेतु क्षमता निर्माण के लिए राष्ट्रीय योजना/कैलेंडर के साथ मिलाने की जरूरत होगी। राज्य/संघ शासित प्रदेश सरकारें अपने क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण कार्यकलापों के समन्वयन के लिए एक या अधिक राज्य संसाधन केंद्रों की पहचान कर सकते हैं और उनकी सहायता कर सकते हैं। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रशिक्षण के दौरान नवीनतम सूचना दी जाए। भारत सरकार या उसके मान्यता प्राप्त संस्थानों द्वारा मुहैया की गई प्रशिक्षण सामग्रियों को क्षेत्रीय भाषाओं में अनूदित करने का दायित्व राज्यों/संघ शासित प्रदेशों का होगा ताकि इसका कारगर ढंग से उपयोग किया जा सके।

10.6. राज्य, सूडा/राज्य यूपीए प्रकोष्ठ/राज्य नोडल एजेंसी/डूडा/यूएलबी के भीतर ही कार्मिकों तथा गैर कार्मिकों को प्रशिक्षकों के रूप में कार्य करने के लिए समर्थ बनाने हेतु उन्हें पर्याप्त प्रशिक्षण देकर प्रशिक्षण क्षमताएं विकसित करने पर भी विचार कर सकते हैं। बाहरी एजेंसियों पर निर्भरता कम करने के अतिरिक्त प्रशिक्षण कार्यक्रमों को फील्ड अभिमुखी बनाने और इस प्रकार उन्हें आधारभूत वास्तविकताओं के प्रति ज्यादा संगत और उत्तरदायी बनाकर क्षमता विकास ज्यादा व्यापक स्तर पर होगा बजाए केवल प्रशिक्षण के लिए एक अभिज्ञात संस्थान को शामिल करके।

10.7. राज्य/संघ शासित प्रदेश यह देखेंगे कि एसजेएसआरवाई और जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन जैसे अन्य कार्यक्रमों के तहत आईईसी कार्यकलाप का उचित समन्वयन हो और वे एक दूसरे के पूरक हों तथा इनमें द्विरावृत्ति न हो।

11. अभिनव / विशेष परियोजनाएं

11.1 अभिनव पहल-प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए, जिनको यदि राज्य एजेंसियों/शहरी स्थानीय निकायों द्वारा सामान्य तौर पर ध्यान दिए जाने के लिए छोड़ दिया जाए, तो समुचित रूप से हल नहीं किए जा सकते, एसजेएसआरवाई के तहत कुल वार्षिक नियतन का 3% आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय द्वारा अभिनव/विशेष परियोजनाओं के लिए निर्धारित किया जाएगा। ये पहल-प्रयास शहरी गरीबी उपशमन की सुस्थिर संकल्पना को प्रेरित करने के उद्देश्य से अनुकूल प्रौद्योगिकी के प्रदर्शन अथवा शहरी गरीबी की स्थिति पर निश्चित प्रभाव डालने के लिए पथ प्रदर्शक के रूप में होंगे। परियोजनाओं में या तो शहरी गरीबों के संगठन, सहायक अवस्थापना, प्रौद्योगिकी, मार्केटिंग, प्रशिक्षण इत्यादि के प्रावधान के रूप में अथवा इनके संयोजन के रूप में दीर्घ-आवधिक तथा सुस्थिर स्व-रोजगार अवसरों के प्रावधान के लिए कार्यनीतियां शामिल होंगी। अभिनव/विशेष

परियोजनाएं एक भागीदारी माध्यम से शुरू की जाएं जिनमें समुदाय-आधारित संगठनों, गैर सरकारी संगठनों, अर्ध सरकारी संगठनों, विभागों, राष्ट्रीय अथवा राज्य संसाधन केंद्र अथवा अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों को शामिल किया जाएगा ।

11.2 यदि वर्ष के दौरान अभिनव/विशेष परियोजनाओं की राशि का पूर्ण उपयोग नहीं किया जा सकता तो विभिन्न राज्यों/संघ प्रदेशों की मांग व आमेलन क्षमता को देखते हुए शेष उपलब्ध राशि कार्यक्रम राशि के साथ-साथ राज्यों/संघ प्रदेशों में वितरित की जाएगी ।

उद्देश्य

11.3 प्रत्येक अभिनव/विशेष परियोजना का उद्देश्य बीपीएल परिवारों की एक विशिष्ट संख्या को स्वरोजगार/कौशल उन्नयन कार्यक्रमों अथवा ऐसी संकल्पना प्रदर्शित करके, जिसका शहरी गरीबी उपशमन प्रयासों की निरंतरता के लिए व्यापक प्रभाव पड़ने की संभावना हो, गरीबी रेखा से ऊपर लाने हेतु एक समयबद्ध कार्यक्रम कार्यान्वित करना होगा ।

परियोजना दायरा और अवधि

11.4 पहल-प्रयास अलग-अलग शहरों/कस्बों अथवा शहरी क्षेत्रों में किए जा सकेंगे । एसजेएसआरवाई के तहत अभिनव/ विशेष परियोजना कार्यान्वित करने के लिए भारत सरकार को भेजे जाने वाले प्रस्तावों में अन्य के साथ-साथ निम्नलिखित ब्यौरे होने चाहिए:-

- (i) परियोजना का विवरण, परियोजना उद्देश्य वांछित लाभार्थी तथा सम्भावित अल्पावधिक व दीर्घावधिक लाभों के ब्यौरे (वित्तीय अथवा अन्य, जिनमें सृजित परिसंपत्तियां तथा सृजित स्व-रोजगार अवसर शामिल हो)
- (ii) उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अपनाई जाने वाली प्रस्तावित परियोजना संकल्प तथा उपलब्ध संसाधनों के संबंध में परियोजना प्रस्ताव के तहत चयनित क्रियाकलाप ।
- (iii) विभिन्न एजेंसियों के बीच भागीदारी के ब्यौरे तथा प्रत्येक एजेंसी द्वारा निष्पादित किए जाने वाले कार्य ।
- (iv) परियोजना लागत और लागत अंशदान पद्धति ।
- (v) अन्य मौजूदा शहरी विकास, बुनियादी सेवा कार्य, आश्रय सुधार तथा शहरी गरीबों के लिए अन्य कार्यक्रम व गैर एसजेएसआरवाई संसाधनों से राशि जुटाने हेतु व्यवस्थाओं के ब्यौरे ।
- (vi) परियोजना के अभिनव अथवा विशेष होने के कारण तथा इसका अनुकरण करने योग्य महत्व —

अभिनव/विशेष परियोजनाओं के अंतर्गत पदों के सृजन, वाहनों की खरीद अथवा रखरखाव व्यय जैसे आवर्ती व्यय अनुमत्य नहीं होंगे ।

11.5 अभिनव/विशेष परियोजनाओं के कार्यान्वयन की अवधि सामान्यतः तीन वर्षों से अधिक नहीं होगी ।

परियोजना अनुमोदन प्रक्रिया

11.6 राज्य सरकारें, अर्ध सरकारी संगठन, शहरी स्थानीय निकाय, गैर सरकारी संगठन, समुदाय आधारित संगठन, संसाधन केन्द्र तथा अन्य संस्थान इस घटक के अंतर्गत परियोजना प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकते हैं । प्राप्त प्रस्तावों पर विचार के लिए द्वि-स्तरीय समिति प्रणाली होगी ।

- क) परियोजना जांच समिति; तथा
- ख) परियोजना अनुमोदन समिति

परियोजना जांच समिति (पीएससी)

11.7 विभिन्न एजेंसियों द्वारा प्रस्तुत परियोजनाओं को परियोजना अनुमोदन समिति को सिफारिश सहित स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किए जाने से पूर्व आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय में परियोजना जांच समिति द्वारा जांच और विचार किया जाएगा। परियोजना जांच समिति की संरचना इस प्रकार होगी-

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय में शहरी गरीबी उपशमन के प्रभारी संयुक्त सचिव	अध्यक्ष
मंत्रालय में निदेशक/उप सचिव (वित्त)	सदस्य
मंत्रालय में शहरी गरीबी, स्लम व आवास संबंधी राष्ट्रीय संसाधन केन्द्र के प्रभारी निदेशक (राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन)	सदस्य
मंत्रालय में निदेशक/उप सचिव (यूपीए)	सदस्य संयोजक

परियोजना जांच समिति स्कीम के अंतर्गत स्वीकृत विशेष परियोजनाओं की आवधिक समीक्षा और मानीटरिंग के लिए भी जिम्मेदार होगी।

परियोजना अनुमोदन समिति (पीएससी)

11.8 परियोजना अनुमोदन समिति, जो विशेष/अभिनव परियोजनाओं के अनुमोदन के लिए जिम्मेदार होगी, की निम्नलिखित संरचना होगी-

सचिव, आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय	अध्यक्ष
संयुक्त सचिव (वित्त) आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय	सदस्य
संयुक्त सचिव (शहरी गरीबी उपशमन) आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय	सदस्य संयोजक

धनराशि की अवमुक्ति तथा मानीटरिंग

11.9 अभिनव/विशेष परियोजनाओं के लिए धनराशि की अवमुक्ति प्रत्येक कार्यक्रम के लिए अनुमोदित अवमुक्ति अनुसूची (रिलीज शेड्यूल) के अनुसार की जाएगी।

11.10 कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा केन्द्र सरकार को प्रत्येक तिमाही में यथाविनिर्दिष्ट प्रगति रिपोर्ट व रिटर्न प्रस्तुत की जाएगी, जिसमें अभिनव/विशेष परियोजना के लिए वास्तविक और वित्तीय उपलब्धियों का उल्लेख होगा।

11.11 अभिनव/विशेष परियोजनाओं के निर्माण के लिए विस्तृत दिशानिर्देश इस प्रकार हैं-

- प्रत्येक विशेष परियोजना के अंतर्गत अधिकतम निवेश, जिसमें क्रेडिट और राज्य/शहरी स्थानीय निकाय/अन्य एजेंसी का अंश, यदि कोई हो, शामिल है, 1.00 करोड़ रु. से अधिक नहीं होगा। अधिक गरीबी से प्रभावित कस्बों/कस्बों के समूहों के लिए विशेष परियोजनाएं तैयार की जाएगी तथा स्लमों और

- कम आय बस्तियों पर खास ध्यान दिया जाएगा ।
- (ii) सामान्यतः एक बार में एक शहर/कस्बे/क्षेत्र के लिए एक परियोजना अनुमोदित की जाएगी । अपवाद स्वरूप मामलों में परियोजना अनुमोदन समिति (पीएसी) एक ही भौगोलिक क्षेत्र के लिए दूसरी परियोजना अनुमोदित कर सकती है । तथापि, किसी भी परिस्थिति में एक ही क्षेत्र में दो से अधिक परियोजनाएं एक साथ चालू न रहे ।
 - (iii) राज्य सरकार/शहरी स्थानीय निकाय से प्रवर्तित परियोजनाओं के मामले में, जब तक कि राज्य/शहरी स्थानीय निकाय परियोजना लागत का 25 % (विशेष श्रेणी राज्यों के लिए 10%) समतुल्य अंश के रूप में मुहैया कराने की अपनी प्रतिबद्धता का उल्लेख न करें तब तक कोई परियोजना अनुमोदित नहीं की जाएगी । सीबीओ, गैर सरकारी संगठनों और संसाधन केंद्रों की परियोजनाओं के लिए जिन्हें राज्य / शहरी स्थानीय निकाय की भागीदारी से आरंभ किए जाने की आवश्यकता है, उनका अंशदान परियोजना लागत का 10% किया जाए । आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय नवीन/ विशेष परियोजनाओं की विभिन्न श्रेणियों की स्वीकृति के लिए अनुपालन की जाने वाली प्रक्रिया का निर्णय करेगा ।
 - (iv) परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए यदि आवश्यक हो तो बैंकों से पूर्व वचनबद्धता की जानी चाहिए । अन्य संस्थानों से भी परियोजनाओं के लिए साख घटक का प्रबंध किया जाए ।
 - (v) कार्यान्वयन एजेंसी को सामान्यतया 40:40:20 के अनुपात में तीन किशतों में धनराशि जारी की जानी चाहिए । तथापि, यदि प्रस्ताव में धनराशि जारी करने का कोई अन्य कार्यक्रम दर्शाया जाता है और अनुमोदित किया जाता है तो उस कार्यक्रम के अनुसार धनराशि जारी की जाएगी ।
 - (vi) विशेष परियोजनाओं के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली अधिक से अधिक परिवारों को शामिल करने के प्रयास किए जाने चाहिए — प्रत्येक परियोजना के अंतर्गत कम से कम 80% लाभार्थी, गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों से होने चाहिये — शामिल किए जाने वाले गरीबी रेखा से नीचे परिवारों को परियोजना प्रस्ताव में विशिष्ट रूप से दर्शाया जाना चाहिए ।
 - (vii) जिला शहरी विकास अभिकरण / शहरी स्थानीय निकायों द्वारा, सम्बद्ध विभाग के परामर्श से कस्बाविशिष्ट परियोजनाएं बनाई जा सकती हैं जिससे कि गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों से अपेक्षित जुड़ाव सुनिश्चित हो तथा सम्बद्ध विभाग द्वारा मुहैया की जा रही तकनीकी सहायता और अन्य सहायता का सम्मिलन हो । राज्य स्तरीय एजेंसियों, गैर सरकारी संगठनों, सीबीओ या संसाधन केन्द्र द्वारा अन्य परियोजनाएं बनवाई जा सकती हैं और स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के कार्यान्वयन के प्रभारी राज्य/ संघ शासित राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी के जरिए केन्द्र सरकार के सामने रखी जा सकती हैं ।
 - (viii) अभिनव / विशिष्ट परियोजनाओं में हितबद्धों की भागीदारी और उन कार्यक्रमों का सम्मिलन सुनिश्चित किया जाना चाहिए जो शहरी गरीबों के निमित्त हैं । इसके अलावा, उनके लिए उनकी व्यापक स्तर पर अनुकरण करने की संभावना होने की आवश्यकता है ।

11.12 स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के अंतर्गत धनराशि स्वीकृत करने की मांग करने के लिए विशेष / अभिनव परियोजनाओं के प्रस्तावों के लिए माडल प्रपत्र **अनुलग्नक VII** में दिया गया है ।

12. विशेष घटक कार्यक्रम

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के बीच गरीबी कम करने हेतु शहरी कार्यक्रम (यू.पी.पी.एस.)

12.1 यह घटक स्वरोजगार और कौशल विकास कार्यक्रम के जरिए अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) की गरीबी दूर करने पर विशेष जोर देने के लिए अलग से बनाया गया है ।

12.2 यूपीपीएस के अंतर्गत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को संबंधित शहरों/कस्बों की गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) वाली जनसंख्या के अनुपातिक भाग में यूएसईपी और एसटीईपीयूपी के अंतर्गत आरक्षण दिया जाएगा ।

13. निगरानी और मूल्यांकन

13.1 स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना विभिन्न घटकों और उप घटकों की निगरानी को अत्यधिक महत्व देती है। राज्यों/ संघ राज्यों द्वारा लक्ष्यों और उपलब्धियों के संबंध में निर्धारित प्रपत्रों पर त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट (क्यूपीआर) भेजना अपेक्षित होगा। क्यूपीआर के अलावा, भारत सरकार समय-समय पर यथोचित अन्य प्रगति रिपोर्ट निर्धारित कर सकती है। राज्य/ संघ राज्य उचित निगरानी तंत्र का गठन करेगा जिसके अंतर्गत शहरी स्थानीय निकायों से स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के विभिन्न घटकों की प्रगति के संबंध में मासिक रिपोर्ट दी जाएगी।

13.2 भारत सरकार आवधिक अंतराल पर स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के समवर्ती मूल्यांकन में सहायता प्रदान करेगी। इस स्कीम का मूल्यांकन इसके कार्यान्वयन की अवधि के दौरान मध्यावधि संशोधन के लिए किया जाएगा और इसके मुख्य लक्ष्यों की प्राप्ति पर स्कीम केन्द्रित होगी।

13.3 निगरानी और मूल्यांकन कार्यकलापों की लागत स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के आईईसी घटक के अंतर्गत पूरी की जाएगी। राज्यों/संघ राज्यों को निगरानी प्रणाली को आनलाइन करने और भारत सरकार को प्रगति रिपोर्ट और अन्य अपेक्षित सूचना ऑन लाइन प्रस्तुत करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। भारत सरकार इस संबंध में उचित ई टूल और प्रशिक्षण कार्यक्रम बनाएगी।

14. सामान्य

14.1 जैसे-जैसे शहरीकरण का स्तर बढ़ेगा, शहरी गरीबी की समस्या के विकट रूप धारण करने की संभावना है — अतः यह अनिवार्य है कि राज्य/संघ राज्य, आर्थिक रूप से उत्पादक, पर्यावरणीय अनुकूलता, वित्तीय रूप से मजबूत, सामाजिक दृष्टि से उचित और समग्र शहरों के नियोजित विकास के लिए उचित नीति ढांचा बनाये। इस संबंध में राज्य/ संघ राज्य, राज्य/ संघ राज्य व्यापी मिशन की शुरुआत कर और इसके कार्यान्वयन के लिए पर्याप्त धनराशि मुहैया करके शहरी गरीबी के उपशमन/कम /उन्मूलन हेतु मिशन माध्यम दृष्टिकोण ला सकता है।

14.2 शहरी गरीबी और आजीविका के विषय जटिल हैं और इसके लिए बहु हितधारकों की भागीदारी और नीतियों तथा कार्यक्रम में सामंजस्य पर जोर देकर एक बहु आयामी दृष्टिकोण अपेक्षित हैं। इस संबंध में, दिसम्बर, 2005 से लागू जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) में शहरी गरीबों के लिए सात सूत्रीय चार्टर अधिकार और जन सुविधाओं का समर्थन किया गया है। इस चार्टर में भूस्वामित्व, किफायती आवास, जल, सफाई व्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था शामिल है। यह अनिवार्य है कि रोजगार, आजीविका और शहरी गरीबों का कौशल विकास के विषयों का समाधान 7 सूत्रीय चार्टर के कार्यान्वयन के साथ किया जाय। शहरी स्थानीय निकाय स्तर पर विभिन्न कार्यक्रमों जैसे कि स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, जेएनएनयूआरएम, प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, आम आदमी बीमा योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, स्वास्थ्य मिशन, सर्व शिक्षा अभियान, मिड डे मील स्कीम, एकीकृत बाल विकास स्कीम, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, कौशल विकास प्रयास आदि के निष्पादन में सामंजस्य की भी आवश्यकता है।

14.3 शहरी गरीबों के मौलिक हक और सेवाओं की व्यवस्था में सामंजस्य स्थापित करने के लिए धनराशि का पर्याप्त प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए, जेएनएनयूआरएम में राज्य स्तर और शहरी स्थानीय निकाय स्तर पर शहरी गरीबों के लिये मूलभूत सेवायें कोष (बी.एस.यू.पी. कोष) के सृजन की व्यवस्था की गई है। नगर निगम/ नगरपालिकाओं से शहरी गरीबी उपशमन के संबंध में केन्द्रित दृष्टिकोण अपनाने के लिए गरीबी उप योजना और पी बजट तैयार करना अपेक्षित है। नगरपालिका बजट का कम से कम 25% शहरी गरीबों के लिए नियत किया जाए। साथ ही राज्य/ शहरी स्थानीय निकाय स्तर पर नीतियों और कार्यक्रमों में शहरी गरीबी के विषयों को मुख्य धारा में लाने के लिए सुधारों की आवश्यकता होगी। बीएसयूपी कोष के लिये धनराशि, केन्द्र और राज्य सरकारों और द्विपक्षी और बहुपक्षी संगठनों की स्कीमों सहित विभिन्न स्रोतों से वित्तपोषण करके जुटायी जा सकती है।

14.4 स्थानीय शासन और सार्वजनिक सेवा प्रदाता के क्षेत्र में काफी व्यापक क्षमता अवरोध हैं । एसजेएसआरवाई,जेएनएनयूआरएम और अन्य स्कीमों द्वारा चलाई गई नीति और कार्यक्रम शुरु करने के अलावा, राज्य/ संघ राज्य , जिला और शहरी स्थानीय निकाय स्तर पर सांस्थानिक और मानव संसाधन क्षमताओं का विकास करने के उपाय कर सकते हैं ताकि शहरी नियोजन और प्रबंधन के व्यापक ढांचे में शहरी गरीबी के प्रभाव पर काबू किया जा सके । वे गैर सरकारी संगठनों, सीबीओ, राष्ट्रीय और राज्य संसाधन संस्थान, शहरी गरीबी और आजीविका पर संसाधन केंद्र के राष्ट्रीय नेटवर्क, मेयर फोरम, सिटी मैनेजर्स फोरम, रिसर्चर कोलोकियम, अन्य फोरम और संगठनों के साथ सहयोग कर सकते हैं जिससे कि न केवल पिछले और वर्तमान शहरी विषयों को ध्यान में रखते हुए बल्कि भविष्य की उन समस्याओं को भी ध्यान में रखते हुए जिनका नगरीकरण की प्रक्रिया के बाद आने की संभावना है, स्लम मुक्त, गरीबी मुक्त और समग्र शहरों में एक सुनियोजित बहुपक्षीय दृष्टिकोण का अनुसरण हो सके ।

15. अन्य

15.1 प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र की स्थिति : योजना के अंतर्गत दिए गए ऋणों को प्राथमिकताप्राप्त अग्रिम माना जाए और तदनुसार, प्राप्त ऋण आवेदनों को इस बारे में निर्धारित समय सूची के अनुसार अर्थात् 25,000/- रुपए तक के ऋण आवेदनों को एक पखवाड़े के अंदर तथा 25,000/- रुपए से अधिक ऋण सीमा वाले आवेदनों को 8 से 9 सप्ताह के अंदर निपटाया जाए।

15.2 आवेदन अस्वीकृत करना : शाखा प्रबंधक आवेदनों को अस्वीकृत (अजा/अजजा के मामलों को छोड़कर) कर सकता है। ऐसे आवेदनों का बाद में मंडल/क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा सत्यापन किया जाना चाहिए। अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों से प्राप्त आवेदनों के मामले में आवेदनों की अस्वीकृति शाखा प्रबंधक से ऊपर के अधिकारी द्वारा की जानी चाहिए।

15.3 स्वयं सहायता समूह द्वारा बचत खाते खोलना : दिनांक 10 फरवरी 1998 के परिपत्र डीबीओडी.सं.डीआरआइ.बीसी.11/13.01.08/98 में निहित अनुदेशों के अनुसार स्वयं सहायता समूह बचत बैंक खाता खोलने के पात्र हैं।

15.4 रिपोर्टिंग प्रारूप : संशोधित योजना के अंतर्गत सब्सिडी की व्यवस्था का तंत्र तथा नई रिपोर्टिंग प्रारूप के संबंध में हमने आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय, भारत सरकार से कुछ स्पष्टीकरण मांगे हैं जिसकी प्रतीक्षा है तथा प्राप्त होने पर सूचित किया जाएगा।

15.5 इस बीच बैंकों को उचित कार्रवाई लेने तथा योजना के सफल कार्यान्वयन हेतु उनकी शाखाओं / नियंत्रक कार्यालयों को आवश्यक अनुदेश जारी करने हेतु सूचित किया गया।

अनुलग्नक -1

विवरण ।

आर्थिक लाभों के लिए एक परिवार के निर्धारण की पद्धति

जैसा कि उल्लेख किया गया है, उच्चतम प्राथमिकता उन व्यक्तियों को दी जाएगी, जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे लोगों में अधिकतम गरीब हैं। तथापि, इस कार्यक्रम के तहत आय सृजक विशेष ऋण योजनाओं के लिए शहरी गरीबों में से वास्तविक लाभार्थी के निर्धारण बाबत कुछ गैर आय मापदण्डों पर भी विचार किया जा सकता है। इस प्रयोजनार्थ सात गैर आय मापदण्ड निर्धारित किए गए हैं। ये हैं रहन-सहन संबंधी मापदण्ड यथा (i) रिहायशी इकाई की छत (ii) रिहायशी इकाई का फर्श (iii) जल की सुविधा (iv) सफाई की सुविधा (v) शैक्षिक स्तर (vi) रोजगार श्रेणी, और (vii) घर में बच्चों की स्थिति (कृपया विवरण II देखें)।

2. प्रत्येक मापदण्ड में "बदतर से बेहतर" स्थिति दर्शाने वाले छह घटक हैं। तदनुसार, प्रत्येक घटक को 100 (बदतर स्थिति) से 0 (बेहतर स्थिति) तक के "भार अंक" दिये गये हैं। दूसरे शब्दों में, जिस लाभार्थी को विवरण I में दिए गए मानकों के अनुसार सबसे अधिक भार अंक दिए गए हैं, उसे शहरी गरीबों में कार्यक्रम के तहत उच्चतम प्राथमिकता दी जाएगी।

3. विवरण III* में किसी परिवार/भावी लाभार्थी को दिए जाने वाले "भार अंक" के अनुसार उच्चतम प्राथमिकता से न्यूनतम प्राथमिकता की विभिन्न श्रेणियां दर्शायी गई है :

उदाहरण :

कल्पना कीजिए कि किसी शहरी परिवार को निर्धारित गैर आय मापदण्डों में से निम्नलिखित घटक मिलते हैं :

मापदण्ड	विशेषता	मानकों के अनुसार दिए जाने वाले भार अंक
जीवन स्तर		
1. छत	सीमेंट की चादरें	60
2. फर्श	बजरी / अर्ध कच्चा	80
3. पानी	जल आपूर्ति नहीं	100
4. सफाई	सामुदायिक शुष्क शौचालय	80
5. शिक्षा स्तर	8वीं कक्षा उत्तीर्ण	60
6. रोजगार श्रेणी	अर्धकुशल	80
7. घर में बच्चों की स्थिति	बच्चे काम करते हैं लेकिन कभी कभार साक्षरता कक्षाओं में जाते हैं	80
	योग	540

घर अर्थात् भावी लाभार्थी का औसत भार अंक = $540/7 = 77.1$

*विवरण III में सुझाव दिया गया है कि 77.1 औसत भार अंक वाले परिवार पर प्राथमिकता की II श्रेणी हेतु विचार किया जाए।

विवरण II

स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के तहत किसी परिवार की पात्रता हेतु विचार किये जाने वाले गैर आय मापदण्ड

आय मापदण्ड	प्रत्येक घटक के लिए भार अंक					
	100	80	60	40	20	0
	(क)	(ख)	(ग)	(घ)	(ङ.)	(च)
(क) जीवन स्तर						
(i) छत	छप्पर / घास	तिरपाल	लकड़ी	एसबेस्टस	टाइल्स	सीमेंट
(ii) फर्श	मिट्टी	बजरी / अर्ध कच्चा	ईट	सीमेंट	चिप्स/ टाइल्स	संगमरमर
(iii) जल	500 गज तक कोई जलापूर्ति नहीं	कुआ/ तालाब/ नदी	सामुदायिक हैण्डपंप/ नलकूप/ बोरवेल	सामुदायिक टैप /टोंटी	प्राइवेट हैण्डपंप/ नलकूप/ बोरवेल	प्राइवेट पाइप जल आपूर्ति
(iv) सफाई	खुले स्थल पर शौच	सामुदायिक शुष्क शौचालय	सामुदायिक जल प्रवाही शौचालय	प्राइवेट शुष्क शौचालय	प्राइवेट जल प्रवाही शौचालय	सीवर से जुड़े प्राइवेट जल प्रवाही शौचालय
(ख) शिक्षा स्तर	निरक्षर	5वीं पास (प्राइमरी)	8वीं पास (मिडिल)	10वीं पास (मैट्रिक)	10+2 उत्तीर्ण	स्नातक उत्तीर्ण
(ग) रोजगार श्रेणी	अर्धकुशल आकस्मिक श्रमिक/ बेरोजगार	अर्धकुशल	स्वरोजगार/ हाथ रेहड़ी वाले	स्वयं का कार्यस्थल	स्वयं का कार्य व बिक्री स्थल	सामाजिक सुरक्षा युक्त संगठित क्षेत्र
(घ) घर में बच्चों की स्थिति	कामकाजी बच्चे जो न तो किसी स्कूल में पढ़ते हैं और न ही साक्षरता कक्षाओं में जाते हैं।	कामकाजी बच्चे जो कभी कभार स्कूल/ एन.एफ.ई./ साक्षरता कक्षाओं में भाग लेते हैं।	कामकाजी बच्चे जो नियमित रूप से स्कूल/ एन.एफ.ई./ साक्षरता कक्षाओं में भाग लेते हैं।	बच्चे न तो काम करते हैं और न ही किसी कक्षा में भाग लेते हैं।	बच्चे कामकाज नहीं करते बल्कि नियमित रूप से एन.एफ.ई./ साक्षरता कक्षा में जाते हैं।	बच्चे काम काज नहीं करते बल्कि नियमित रूप से स्कूल जाते हैं।

टिप्पणी : उपर्युक्त फार्मेट एक सुझाव मात्र हैं — तथापि, कस्बा स्तरीय यूपीए सैल, कस्बे में गरीबों में सबसे गरीब की पहचान करने के लिए स्थानीय परिस्थितियों / घटकों के आधार पर, संबंधित समुदाय आधारित संगठनों के परामर्श से, अन्य प्रकार के मापदण्ड तैयार कर सकता है।

विवरण III

शहरी गरीबों में से किसी लाभार्थी की पहचान हेतु गैर आर्थिक मानक/ मानदण्ड*

भार अंक	प्राथमिकता श्रेणी
1. 80-100	I प्राथमिकता (उच्चतम प्राथमिकता)
2. 60-80	II प्राथमिकता
3. 40-60	III प्राथमिकता
4. 20-40	IV प्राथमिकता
5. 0-20	V प्राथमिकता (न्यूनतम प्राथमिकता)

* यह मापदण्ड उन आय वाले मापदण्डों के अलावा है, जिनमें गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को प्राथमिकता देने का विचार किया गया है।

नोट: आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय आवश्यकतानुसार समय-समय पर, लाभार्थियों की पहचान करने के संबंध में दिशानिर्देश जारी करेगा।

शहरी स्वरोजगार कार्यक्रम के तहत लघु उद्यम लगाकर व्यक्तियों को स्वरोजगार के बारे में कार्यात्मक ब्यौरे

1. लाभार्थियों की पहचान : केवल वे लाभार्थी जिन्हें अनुलग्नक। में यथा प्रस्तावित सर्वे के आधार पर पहचाना और सूचीबद्ध किया गया है।
2. पात्रता : किसी शहर / कस्बे में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले शहरी गरीब।
3. आयु : बैंक ऋण के लिए आवेदन करते समय कम से कम 18 वर्ष की आयु होनी चाहिए।
4. निवास स्थान : कम से कम तीन साल से उस शहर में रिहायश।
5. दोषी : किसी राष्ट्रीयकृत बैंक/वित्तीय संस्थान/ सहकारी बैंक का दोषी न हो।
6. कार्य की प्रकृति : कार्यों की संदर्शी सूची इस प्रकार है
 - (क) विशेष कौशल की गैर आवश्यकता वाली नगर सेवाएं चाय की दुकान, अखबार/पत्रिका की दुकान, आइसक्रीम विक्रेता/ दूध विक्रेता, पान/ सिगरेट की दुकान, रिक्शा चालक, फल/ सब्जी की बिक्री, लौंडरी कार्य आदि।
 - (ख) विशेष कौशल की आवश्यकता वाली नगर सेवाएं टीवी/ रेडियो/ रेफ्रिजरेटर/ कूलर/ एयरकंडीशनर/ मोबाइलफोन/ साईकिल/ आटोमोबाइल/ डीजल इंजन पंप/ मोटर/ घड़ी/ बिजली के घरेलू सामान की मरम्मत, कैटरिंग, ड्राइक्लीनिंग, कुर्सियों की केनिंग, मोटर बाइडिंग, मोचीगीरी, बुक बाइडिंग और गृह सुधार/ गृह निर्माण संबंधी कौशल जैसे प्लम्बिंग, बढईगीरी, राजमिस्त्री पेंटिंग, पोलिसिंग, टाईल लगाना, शीशा लगाना, इलैक्ट्रिकल्स आदि।
 - (ग) कौशल की जरूरत वाली लघु उत्पादन इकाईयां- वाशिंग पाउडर, अगरबत्ती, चूडियां, गारमेंट्स, प्लास्टिक के खिलौने, फुटवीयर, वूडन/स्टील फर्नीचर, साड़ी प्रिंटिंग, बुनाई, पोर्टरी, लोहार, बर्तन/ लोहे का सामान, खाद्य प्रसाधन, बाल पैन बनाना आदि।
 - (घ) कृषि तथा सहायक कार्यों/ छोटी-मोटी सेवाओं/ कारोबारी कार्यों जैसे साधारण दुकानदारी, किराना दुकान, भवन निर्माण सामग्री की दुकान, बने बनाए वस्त्र तथा दुग्ध केन्द्र आदि के लिए भी सहायता उपलब्ध होगी।
 - (ड.) यदि लाभार्थी ने किसी पंजीकृत गैर सरकारी संगठन/ स्वयं सेवी संगठन से स्किल/ट्रेड में पहले ही प्रशिक्षण ले लिया हो तो उसे प्रशिक्षण की जरूरत नहीं होगी। बशर्ते कि इस आशय का अपेक्षित प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।

(च) यदि लाभार्थी ने कुम्हार, मोची, बढईगीरी, लोहारगीरी, जैसे कार्य आनुवंशिक/ अन्य स्रोतों से सीख लिए हों तो भी प्रशिक्षण की जरूरत नहीं होगी। तथापि, बैंकों को आवेदन की सिफारिश/अप्रेषित करने से पहले शहरी स्थानीय निकाय द्वारा इस बारे में प्रमाण पत्र देना होगा।

(छ) यदि लाभार्थी ने पंजीकृत प्राइवेट/सरकारी कंपनी से अप्रेंटिस अथवा कर्मचारी के रूप में कोई खास ट्रेड सीखा हो तो भी प्रशिक्षण की जरूरत नहीं होगी बशर्ते कि पंजीकृत प्राइवेट/सरकारी कंपनी से इसका प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।

7. लागत : व्यक्तिगत मामले में स्कीम के तहत अधिकतम परियोजना लागत 200,000 रुपए हो सकती है। यदि दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर साझेदारी करते हैं तो अधिक लागत वाली परियोजना पर भी विचार किया जा सकता है बशर्ते कि परियोजना लागत में प्रत्येक व्यक्ति का अंश 200,000 रू.या इससे कम हो।

8.सब्सिडी : परियोजना लागत की 25% की दर से सब्सिडी मुहैया कराई जाएगी जो प्रति लाभार्थी 50,000 रू. से अधिक नहीं होगी। यदि एक से अधिक लाभार्थी मिलकर साझेदारी में परियोजना शुरु करते हैं तो भी प्रत्येक साझेदार के लिए अलग से सब्सिडी की गणना की जाएगी।

9. मार्जिन राशि : प्रत्येक लाभार्थी को परियोजना लागत का 5% मार्जिन राशि के रूप में नकद देना है।

10. ऋण (सब्सिडी सहित) : बैंक द्वारा परियोजना लागत का 95% मुहैया कराया जायेगा। (भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय - समय पर निर्धारित प्राथमिकता सैक्टर ऋणों पर लागू ब्याज की दरों पर बैंक द्वारा मंजूर परियोजना लागत का 70% ऋण के रूप में तथा 25% सब्सिडी राशि) — ऋण राशि पर ही ब्याज लिया जायेगा।

11. ऋणों पर संपाश्विक गारंटी : ऋणों को कोई समर्थक गारंटी की जरूरत नहीं होगी। कार्यक्रम के तहत सृजित परिसंपत्ति, बैंकों को अग्रिम ऋण देने के लिए बंधक / गिरवी/रेहन रखी जाएगी।

12. चुकौती : चुकौती अनुसूची, बैंक द्वारा निर्धारित 6 से 18 माह की प्रारंभिक विलंबन अवधि के बाद, 3 से 7 वर्ष तक होगी।

सीडीएस/नगर यूपीए प्रकोष्ठ, नियमानुसार, ऋणों की नियमित भुगतान वापसी के लिए बैंक को सहायता देंगे।

यूडब्ल्यूएसपी के अंतर्गत माइक्रोउद्यम स्थापित करके स्वरोजगार (समूह) के संबंध में प्रचलनात्मक ब्यौरा

1. लाभार्थियों की पहचान : अनुलग्नक I के अंतर्गत सुझाव दिए गए सर्वेक्षण के आधार पर पहचान और सूचीबद्ध किए गए व्यक्ति ही।
2. पात्रता : किसी शहर/कस्बे में गरीबी की रेखा से नीचे रह रही शहरी गरीब महिला। बेहतर हो कि वरिष्ठ और बेहतर कार्य निष्पादन शहरी महिला स्व सहायता समूह पर बल दिया जाए जिसे ऋण प्रबंधन की योग्यता हो तथा प्रस्तावित गतिविधि में निपुण हो।
3. आयु : सदस्यों की आयु समूह द्वारा बैंक ऋण के लिए आवेदन करते समय कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए।
4. समूह की सदस्यता : समूह में महिलाओं की कम से कम संख्या पांच हो।
5. दोषी : किसी राष्ट्रीयकृत बैंक/वित्तीय संस्था/सहकारी बैंक का दोषी नहीं होना चाहिए।
6. गतिविधियों का स्वरूप : अनुलग्नक II में व्यक्तिगत उद्यम के लिए उल्लेख की गई गतिविधियों सहित शहरी गरीब महिला द्वारा आय अर्जन के लिए कोई सामूहिक गतिविधि/ उद्यम विकास।
7. परियोजना लागत : कोई अधिकतम सीमा नहीं।
8. सब्सिडी : परियोजना लागत के 35% की दर से सब्सिडी मुहैया करायी जायेगी। सब्सिडी की अधिकतम सीमा 3.00 लाख रुपए अथवा 60,000/- रुपए प्रति लाभार्थी होगी।
9. मार्जिन राशि : समूह को मार्जिन राशि के रूप में परियोजना लागत का 5% अंशदान नकद करने हेतु प्रोत्साहित किया जाए।
10. ऋण : भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर नियत ऐसे प्राथमिकता क्षेत्र ऋणों के लिए लागू ब्याज की दरों पर बैंकों द्वारा ऋण (परियोजना लागत से सब्सिडी राशि और मार्जिन राशि, यदि कोई हो, को छोड़कर) मंजूर किया जायेगा। ऋण राशि पर ही ब्याज लिया जायेगा।
11. बैंक ऋणों पर समर्थक गारंटी : ऋणों को कोई समर्थक गारंटी की जरूरत नहीं होगी। कार्यक्रम के तहत सृजित परिसंपत्ति, बैंकों को अग्रिम ऋण देने के लिए बंधक /गिरवी/रेहन रखी जाएगी।
12. भुगतान वापसी : भुगतान वापसी अनुसूची, बैंक द्वारा निर्धारित 6 से 18 माह की प्रारंभिक विलंबन अवधि के बाद, 3 से 7 वर्ष तक होगी।
सीडीएस/नगर यूपीए प्रकोष्ठ, नियमानुसार, ऋणों की नियमित भुगतान वापसी के लिए बैंक को सहायता देंगे।

अनुलग्नक - IV

स्वसहायता समूहों/ थ्रिफ्ट एण्ड क्रेडिट सोसाइटीयों के लिए निदर्शी सिद्धांत

एक स्वसहायता समूह (एसएचजी)/थ्रिफ्ट एण्ड क्रेडिट सोसाइटी (टीसीएस) में निम्न होंगे

- विभिन्न परिवारों से महिलाओं का समूह
- स्वचयन के आधार पर सदस्यता
- सामान्य रूप से एक समाज सामाजिक और आर्थिक दशाओं तथा स्थिति के संदर्भ में
- नेतृत्व, बेहतर हो सर्वसहमति से अथवा अधिकांश सदस्यों की सहमति लेकर तथा बारी-बारी से
- बचत, एक प्रवेश बिन्दु और बाध्यता के रूप में
- सदस्यों के बीच आंतरिक ऋण तथा बारी-बारी से
- ब्याज दर/ किसे ऋण दिया जाना है, इस संबंध में सामूहिक निर्णय।

एक अच्छे स्व सहायता समूह/ थ्रिफ्ट एण्ड क्रेडिट सोसाइटी के लिए पांच सूत्र

1. नियमित बचत
2. नियमित बैठकें
3. नियमित लेखा बुक कीपिंग और एकाउंटिंग
4. नियमित भुगतान
5. शर्तों और निबंधनों का पालन आचरण संहिता का निर्धारण

मुख्य प्रचलनात्मक सिद्धांत

एस एच जी /टी एण्ड सी एस की

- बैठकों के लिए सहमत शर्तें
- बचत के लिए सहमत शर्तें
- दिए जाने वाले ऋण के लिए सहमत शर्तें
- ऋण के वापसी भुगतान के लिए सहमत शर्तें
- सहमत सामाजिक कार्य सूची होगी।

शहरी गरीबों के बीच रोजगार उन्नयन हेतु कौशल प्रशिक्षण (स्टेप-अप) के लिए परिचालनात्मक दिशा-निर्देश
कौशल प्रशिक्षण :

- कौशल प्रशिक्षण को प्रत्यापन, प्रमाणन से जोड़ा जाए और प्रतिष्ठित संस्थानों की भागीदारी से सार्वजनिक- निजी भागीदारी (पीपीपी) आधार पर प्राथमिकता देते हुए शुरू किया जाए।
- प्रशिक्षण कक्षा का आकार 40 से अधिक का नहीं होनी चाहिए।
- कौशल उन्नयन(अप्रेंटिसशिप सहित, यदि कोई हो) हेतु कुल प्रशिक्षण अवधि 6 माह तक हो सकती है।
- जहां व्यवहार्य हो वहां, संतोषजनक रूप से प्रशिक्षण समाप्त करने वाले प्रशिक्षणार्थियों को टूलकिट भी मुहैया करवाई जानी चाहिये।
- टूलकिट की लागत, औसत प्रशिक्षण लागत, 10,000/- प्रति व्यक्ति में शामिल की गई है। यदि, टूलकिट की लागत इस सीमा से अधिक होती है तो अधिक धनराशि को इस कार्यक्रम के अलावा अथवा बैंक ऋण, यहां तक की लाभार्थी अंशदान के रूप में, निधियों से पूरा किया जाए।
- प्रति प्रशिक्षणार्थी मासिक प्रशिक्षण व्यय, जिसमें सामग्री लागत, प्रशिक्षक शुल्क, टूलकिट लागत, प्रशिक्षण संस्थान द्वारा वहन किए जा रहे अन्य विविध खर्चों के साथ प्रशिक्षणार्थी को दिया जाने वाला मासिक वजीफा शामिल है, ट्रेड और प्रशिक्षण अवधि के अनुसार भिन्न-भिन्न हो सकता है। इस संबंध में राज्यों / संघ राज्यों को दिशा-निर्देश जारी करना चाहिये।

कौशल विकास प्रक्रिया :

शहरी गरीबों के कौशल विकास / उन्नयन हेतु निम्न प्रक्रियाएं अपनाई जा सकती हैं:

- (i) उद्योग, बिजनेस और सर्विस क्षेत्रों हेतु आवश्यकताओं की पहचान के लिए और उभरते रोजगार अवसरों- स्थानीय, जिला, राज्य और राष्ट्रीय और नियमित अन्तराल पर सूचना को बढ़ाने के लिये, मार्केट स्कैन/ सर्वेक्षण;
- (ii) आजीविका सर्वेक्षण, प्रशिक्षण आवश्यकता निर्धारण, बेसलाईन और अन्तर्गतों की पहचान;
- (iii) लीड (राष्ट्रीय अथवा राज्य) और नोडल (रिजनल/सिटी लेवल) संस्थानों की पहचान- प्रत्यापन हेतु मोडिलिटिज निर्धारण, मोड्यूल की तैयारी, प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण, परामर्श देना, प्रमाणन, प्रशिक्षण, इत्यादि।
- (iv) राज्य नोडल एजेंसी/ शहरी स्थानीय निकाय (शहरी गरीबी उन्नयन सैल) और लीड/ नोडल प्रशिक्षण संस्थानों, और लीड और नोडल संस्थानों के बीच, करार ज्ञापन;
- (v) लीड संस्थान द्वारा प्रत्यापन हेतु दिशा-निर्देश, प्रत्यापन प्रक्रिया और प्रशिक्षण शुरू करने हेतु नोडल प्रशिक्षण संस्थानों / एजेंसियों की पहचान;
- (vi) निजी क्षेत्र में उत्कृष्ट एजेंसियों अथवा संस्थानों सहित नोडल / प्रशिक्षण संस्थानों / एजेंसियों और लीड संस्थान के बीच करार ज्ञापन;
- (vii) प्रशिक्षकों की शिक्षा, प्रशिक्षण स्तर , अनुभव, अभिरुचि इत्यादि के आधार पर सामुदायिक अवसंरचना / संगठनों / एनजीओ की सहायता से शहरी स्थानीय निकायों द्वारा उनका चयन
- (viii) प्रशिक्षण कैलेंडर का निर्माण और संस्थानों को प्रशिक्षु सौंपना, प्रशिक्षण शुरू करवाना, परीक्षा, प्रमाणन प्रक्रिया, इंडस्ट्री में अप्रेंटिसशिप; और प्लेसमेंट समन्वय
- (ix) निगरानी , गुणवत्ता नियंत्रण, समीक्षा, मूल्यांकन और सुधारात्मक उपाय —
- (x) प्रशिक्षण उपरान्त हैंडहोल्डिंग।

कौशल प्रशिक्षण संस्थान

- ऊंचे- मूल्यों के कौशल, जिनकी मार्केट में मांग है पर ध्यान केन्द्रित होगा। कौशल को, प्रवेश स्तर योग्यता के आधार पर, श्रेणियों में बांटा जा सकता है।
- दसवीं पास आवेदकों को उच्च स्तर की तकनीकी व्यवसायिक प्रशिक्षण मुहैया करवाया जा सकता है जबकि 8वीं पास आवेदकों को आवश्यक कम तकनीकी ज्ञान प्रशिक्षण मुहैया करवाया जा सकेगा।
- 8वीं से कम पास वाले व्यक्तियों को विशेष रूप से निर्धारित प्रशिक्षण मुहैया करवाया जा सकेगा जिनमें सामान्यतः तकनीकी कौशल की आवश्यकता नहीं होगी।
- राज्य / संघ राज्य क्षेत्र, क्षेत्रीय / सिटी स्तर नोडल संस्थानों द्वारा सहायता प्राप्त क्रिया-विशिष्ट लीड संस्थानों (प्रत्येक विशिष्ट तकनीकी व्यवसायिक कौशल हेतु एक उत्कृष्ट राष्ट्रीय अथवा राज्य सरकार संस्थान जैसे आई आई टी अथवा एनआईटी) को सूचीबद्ध कर सकता है, जो लीड संस्थान के साथ ध्यान पूर्वक कार्य करेगा।
- संबंधित क्षेत्र के प्रशिक्षण संस्थानों (सार्वजनिक और निजी दोनों) के प्रत्यापन और प्रमाणन के लिये लीड संस्थान उत्तरदायी होगा।
- प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण, प्रशिक्षण के पर्यवेक्षण, परामर्श देने और प्लेसमेन्ट समन्वय हेतु नोडल(क्षेत्रीय/ सिटी स्तर) संस्थान उत्तरदायी होगा।
- लीड और नोडल संस्थान उच्च गुणवत्ता प्रशिक्षण मोड्यूल पाठ्यक्रम मानकों का विकास, प्रशिक्षक और प्रशिक्षणार्थी के प्रशिक्षण हेतु सामग्री की तैयारी शुरू करेगा और विशेष कौशलों हेतु प्रमाणन प्रक्रिया को शुरू करेगा।
- कौशल प्रशिक्षण देने हेतु सार्वजनिक-निजी-भागीदारी मोडल को प्रोत्साहित किया जाएगा।

नोट : कौशल विकास / उन्नयन शुरू करने हेतु दिशा-निर्देश समय-समय पर, आवश्यकतानुसार , भारत सरकार द्वारा जारी किए जाएंगे।

स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना के तहत गठित किये जाने वाले समुदाय आधारित ढांचे

समुदाय आधारित संगठनों में परिवेश दल (एनएचजी), परिवेश समितियां (एनएचसी) और समुदाय विकास सोसाइटी (सीडीएस) शामिल है।

I परिवेश दल (एनएचजी)

यह मोहल्ला अथवा बस्ती या परिवेश में रह रही महिलाओं की एक समुचित आकार की अनौपचारिक एसोसिएशन है (इसमें 10 से 40 तक महिलाएं होती है जो शहरी गरीब / स्लम परिवारों की होती है) इन एन एच जी की परिधि/ सीमा क्षेत्र का आधार भौगोलिक रूप से सटा हुआ होगा और समरूपता वाला होना चाहिए। उनमें से कम से कम एक निवासी महिला, जो स्वयंसेवक के रूप में सेवा करने की इच्छुक हो, को समुदाय आम सहमति अथवा चुनाव या किसी अन्य लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से निवासी समुदाय स्वयंसेवक(आरसीवी) के रूप में चुना जाना चाहिए। ऐसे स्वयं सेवकों का आवधिक अन्तराल के लिए(यदि आवश्यक हो तो) परिवर्तन होना अथवा क्रमिक रूप से सेवा ली जानी चाहिए। आर सी वी के दायित्वों में यह शामिल है-

- (i) झुग्गी-झोपड़ी समूह में परिवारों के मध्य सूचना और संचार के सूत्र के रूप में कार्य करना;
- (ii) परिवेश समितियों और समुदाय विकास समितियों तथा अन्य मंचों में दल के विचारों को रखना;
- (iii) परिवेश स्तर पर कार्य कलापों की योजना बनाने, कार्यान्वयन और मॉनिटरिंग में सहायता करना;
- (iv) सामुदायिक सुधार कार्यक्रमों में सहभागिता और स्व-सहायता, आपसी सहायता का पोषण और प्रोत्साहन और
- (v) स्व-सहायता समूह / मितव्यय और ऋण समिति के सदस्य बनने के लिए और समुदाय विकास कोष में अंशदान हेतु समुदाय को अभिप्रेरित करना।

II परिवेश समितियां (एन एच सी)

परिवेश समिति (एन एच सी) उपर्युक्त परिवेश दलों के समीपवर्ती इलाकों तथा जहां तक व्यवहार्य हो उसी मतदाता बोर्ड से महिलाओं की एक अधिक औपचारिक एसोसिएशन है। समिति में परिवेश दलों से सभी आरसीवी - एनएचसी के कार्यकारी (वोट देने के अधिकार वाली) सदस्य के रूप होगी — इसमें अवैतनिक सदस्यता बिना वोट देने के अधिकार के समुदाय आयोजकों(सीओज), समुदाय में अन्य क्षेत्र के कार्यक्रमों के प्रतिनिधियों यथा आईसीडीएस पर्यवेक्षकों, स्कूल अध्यापक, शहरी सोशल हेल्थ ऐक्टिविस्ट, ए एन एम आदि के लिए भी व्यवस्था है। एन एच सी के संयोजक /

अध्यक्ष एन एच सी के कार्यकारी सदस्यों द्वारा चुने जायेंगे। संयोजक यह सुनिश्चित करेंगे कि परिवेश समिति की बैठकें नियमित आधार पर आयोजित की जा रही है। एनएचसी निम्नलिखित के लिए उत्तदायी होगी-

- (i) स्थानीय समस्याओं और प्राथमिकताओं की पहचान करना;
- (ii) सामुदायिक आवश्यकताओं और लक्ष्यों (छोटी योजनाएं) को पूरा करने में सहभागी दलों के लिए सुझाव देना;

- (iii) सामुदायिक ठेकों सहित उत्तरदायी एजेंसियों को सहभागिता के साथ स्थानीय कार्रवाई सहायता;
- (iv) एजेंसियों को कार्यक्रम के प्रभाव व पहुंच, विशेषकर बच्चों और महिलाओं के संबंध में, के बारे में फीडबैक देना
- (v) समुदाय संगठकों, गैर-सरकारी संगठनों और अन्य क्षेत्र के विभागों की सहभागिता से प्रशिक्षण के माध्यम से समुदाय क्षमता विकसित करना;
- (vi) समुदाय आधारित मितत्वयय तथा ऋण प्रणाली तथा परिवेश विकास कोष विकसित करना;
- (vii) लाभार्थियों से समय पर ऋण वसूली को सुगम बनाना;
- (viii) दिशानिर्देशों के अनुसार समुदाय सर्वेक्षण में सहायता देना / उन्हें चलाना ।

एनएचसी समितियां यदि चाहें तो पंजीकरण अधिनियम अथवा अन्य समुचित अधिनियमों के तहत पंजीकृत करा सकती है। यदि पंजीकृत हो जाता है तो ये एनएचसी भी विभिन्न स्कीमों के तहत अनुदान सहायता के लिए आवेदन कर सकती है।

III सामुदायिक विकास सोसाइटी (सीडीएस)

सीडीएस, सामान्य लक्ष्यों और उद्देश्य पर आधारित, कस्बा स्तर पर सभी परिवेश समितियों की एक औपचारिक एसोशियेशन है। सीडीएस में एनएचसी के चुने हुए प्रतिनिधि कार्यकारी सदस्य (वोट अधिकार वाले) के रूप में और अवैतनिक सदस्यता वाले सदस्य (बिना वोट के अधिकार के) जिसमें समुदाय आयोजक, एनजीओ के प्रतिनिधि, क्षेत्रगत विभाग, प्रतिष्ठित नागरिक, क्षेत्र के चुने गये प्रतिनिधि और अन्य प्रभावी व्यक्ति होंगे। समुदाय विकास समिति(सीडीएस) समितियां पंजीकरण अधिनियम अथवा अन्य संबंधित अधिनियमों के तहत पंजीकृत होनी चाहिए जो विभिन्न स्कीमों के तहत अनुदान सहायता लेने और व्यापक वित्तीय तथा ऋण आधार के लिए सक्षम होगी। सीडीएस निम्नलिखित के लिए उत्तरदायी होगी :

- (i) समग्र समुदाय के लिए आवश्यकताओं विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों के लिए प्रतिनिधित्व;
- (ii) समुदाय के लिए उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कार्रवाई प्रोन्नत करने के लिए एजेंसियों और विभागों से सम्पर्क / बातचीत करना;
- (iii) विशेष प्रशिक्षण जरूरतों की पहचान और अपने संगठनों के क्षमता वृद्धि की व्यवस्था करना —
- (iv) आर्थिक और आश्रय के लाभ हेतु वास्तविक लाभार्थियों की पहचान कराने हेतु समुदाय सर्वेक्षण करवाने हेतु सहायता ।
- (v) समुदाय विकास योजनाओं और प्रस्तावों को तैयार करना तथा समुदाय, कस्बा अथवा अन्य क्षेत्र के विभागों से इन योजनाओं के कार्यान्वयन के लिये संसाधन जुटाना ।
- (vi) लाभार्थियों से समय पर ऋण के भुगतान को सुनिश्चित करने के लिए शहर/कस्बा यूपीए प्रकोष्ठ के साथ समन्वय करके बैंक को मदद देना ।
- (vii) शहर/कस्बा यूपीए प्रकोष्ठ और शहरी स्थानीय निकाय (यू एल बी) के साथ परामर्श करके कम आय वाले क्षेत्रों में छोटी समुदाय परिसम्पत्ति सृजित करना ।
- (viii) जेएनएनयूआरएम और अन्य कार्यक्रमों के अंतर्गत समुदाय भागीदारी कोष / समुदाय विकास नेटवर्क से सहायता हेतु प्रस्ताव तैयार करना और उन्हें कार्यान्वित करना ।

विभिन्न स्तरों पर सामुदायिक ढांचे स्व- प्रबन्धकीय होंगे तथा उनमें बुनियादी अवस्थापना, स्वास्थ्य, शिक्षा, कौशल और जीवन यापन, थ्रिफ्ट और क्रेडिट आदि जैसी गतिविधियों के प्रभारी स्वयं सेवक हो सकते हैं।

राज्य / संघ राज्य क्षेत्र सामुदायिक ढांचे के अनुक्रम के संबंध में अन्य अभिनव संरचनात्मक व्यवस्थाएं अपना सकते हैं जैसाकि वे उपयुक्त समझे। तथापि, इनके द्वारा उपयुक्त दिशानिर्देश जारी किए जाने की आवश्यकता है।

अनुलग्नक -VII

स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना के तहत अभिनव / विशेष परियोजनाओं हेतु प्रस्तावों को प्रस्तुत करने के लिए फार्मेट

1. परियोजना का नाम :
2. मुख्य आवेदक :
3. परियोजना की संकल्पनात्मक पृष्ठभूमि तथा विशेषताएं जो इसे अभिनव / विशेष परियोजनाओं के तहत स्वीकृति हेतु विशेष/ अभिनव बनाती है और क्यों नहीं इसे सामान्य एसजेएसआरवाई या शहर / कस्बे में कार्यान्वित किए जा रहे अन्य कार्यक्रम के तहत शुरु किया जा सकता है:
पूर्णता के बाद परियोजना के दोहराने की सम्भावना:
4. परियोजना का क्षेत्र परियोजना क्षेत्र का प्रोफाइल तथा मुख्य परियोजना कार्यकलाप कैसे क्षेत्र एवं स्थानीय लोगों के लिए उचित हैं।
5. परियोजना का उद्देश्य :
6. परियोजना कार्यनीति :
7. परियोजना अवधि एवं परियोजना के कार्यान्वयन हेतु कार्ययोजना / माइलस्टोन (वर्ष-वार):
8. परियोजना का स्कोप: परियोजना के तहत शुरु की जाने वाली मुख्य कार्यकलाप:
9. लाभार्थियों का ब्यौरा - कुल सं / बीपीएल श्रेणी के अंतर्गत संख्या / एससी/ एसटी/ महिला / भिन्न प्रकार से शक्त इत्यादि की संख्या एवं परियोजना में शुरु किए गए कार्यकलापों के साथ उनके सम्बन्ध :
10. कार्यान्वयन एजेंसी जिसको कार्यान्वयन हेतु प्रस्तावित धनराशि जारी की जानी है:
11. संबंधित विभागों / एनजीओ/ अन्य संस्थाओं की भूमिका:
12. संकेतकों, जिस पर परियोजना की सफलता की निगरानी एवं मूल्यांकन की जाएगी, हेतु बैंच मार्क सर्वेक्षण:
13. क्षेत्र में चल रही अन्य शहरी विकास एवं सामाजिक क्षेत्र के विकास कार्यक्रमों के साथ समेकन तथा गैर-एसजेएसआरवाई स्रोतों से धन का प्रबन्ध करना तथा समन्वय संसूचित करना :
14. परियोजना के कार्यान्वयन हेतु रुपात्मकता :
 - क. कच्ची सामग्री आपूर्ति जुटाना :
 - ख. तकनीकी जानकारी जुटाना :

- ग. अवस्थापना विकास : यदि अवस्थापनात्मक सुविधाएं बनाई जानी प्रस्तावित हैं तो इसका उल्लेख करें कि यह कैसे शहरी गरीबों को फायदा पहुंचाएंगी। कैसे सुविधाओं का अनुरक्षण होगा तथा परियोजना के पूर्ण होने के बाद स्टाफ, चालू लागत इत्यादि का प्रावधान कैसे होगा :
- घ. विपणन प्रबन्ध: मौजूदा बाजार में उत्पादों के विपणन के लिए व्यवस्था, भविष्य में बाजार को बढ़ाने हेतु रणनीति, सुव्यवस्थित संपर्कों का ब्यौरा :
- ड. प्रशिक्षण घटक : प्रशिक्षण जरूरतों का आकलन, कौशल प्रशिक्षण संस्थानों की पहचान, प्रशिक्षण की अवधि, वित्तपोषण ब्यौरा एवं प्रशिक्षण इत्यादि हेतु प्रबंध :

15. प्रत्याशित फायदा/ परियोजना का प्रभाव- गरीबों की आय में वृद्धि के सम्बन्ध में, वर्ष-वार निर्धारित आय वृद्धि पैरा मीटर इत्यादि।
16. गरीब लाभार्थियों इत्यादि की आय में वृद्धि के परियोजना उद्देश्य को प्रभावित करने वाले जोखिम घटक एवं जोखिम को कम करने हेतु रूपात्मकता।
17. परियोजना की निगरानी एवं मूल्यांकन : विभिन्न पैरामीटरों का उल्लेख करें जिनके आधार पर परियोजना की निगरानी एवं मूल्यांकन की जानी है। परियोजना की पूर्णता के बाद परियोजना कार्यकलापों को कैसे जारी रखा जाएगा ?
18. परियोजना का तकनीकी मूल्यांकन: परियोजना की तकनीकी जांच एवं संभाव्यता(कृपया दर्शाए कि क्या राज्य सरकार / राज्य नोडल एजेंसी के संबंधित तकनीकी विभाग/विंग ने परियोजना की पुनरीक्षा कर ली है। यदि हां तो मूल्यांकन एजेंसी की टिप्पणियों का उल्लेख करें)।
19. परियोजना का आर्थिक मूल्यांकन : (परियोजना का मूल्यांकन करवाया जाय तथा परियोजना के आर्थिक व्यवहार्यता संबंधी आर्थिक विश्लेषण / मूल्यांकन का परिणाम उचित रूप से दर्शाया जाये)।
20. अनुमानित परियोजना लागत : (कृपया केन्द्र, राज्य एवं शहरी स्थानीय निकाय के अंश दर्शाए; यदि लागू है तो क्रेडिट घटक, अन्य स्रोतों एवं लाभार्थियों से अंशदानें) अनुमानित लागत को कुल लागत एवं कार्यकलाप-वार/स्रोत-वार लागत भी निर्देशित करना चाहिए।

कार्यकलाप 1 कार्यकलाप 2 -----

कुल
केन्द्रीय अंश
राज्य अंश
बैंक क्रेडिट
एनएचसी/सीडीएस निधि
लाभार्थी अंशदान
अन्य स्रोत-एनजीओ इत्यादि
कुल

ऋण के मामले में भुगतान वापसी अनुसूची

21. क्या परियोजना या उसका भाग किसी अन्य एजेंसी को प्रस्तुत किया गया है? यदि हां, तो उसके क्या परिणाम हैं। यदि परियोजना या इसके भाग को अस्वीकृत किया गया था तो इसके कारण बताएं।

स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना (एसजेएसआरवाई)

बैंक का नाम : -----

एसजेएसआरवाई के घटक यूसेप के अंतर्गत माह ----- को समाप्त संचयी स्थिति दर्शानेवाली रिपोर्ट

राज्य/ संघशासित क्षेत्र	लक्ष्य	प्राप्त आवेदन	कुल स्वीकृत ऋण		कुल संख्या वितरित ऋण		कुल संवितरित सब्सिडी		कुल स्वीकृत ऋण में अजा/अजजा को स्वीकृत ऋण		कुल संवितरित ऋण में अजा/अजजा को संवितरित ऋण		कुल स्वीकृत ऋण में महिलाओं को स्वीकृत ऋण		कुल संवितरित ऋण में महिलाओं को संवितरित ऋण		कुल स्वीकृत ऋण में विकलांगों को स्वीकृत ऋण		कुल संवितरित ऋण में विकलांगों को संवितरित ऋण		स्वीकृति हेतु लेबित आवेदनों की संख्या *	अस्वीकृत आवेदनों की संख्या**
			सं.	राशि	सं.	राशि	सं.	राशि	सं.	राशि	सं.	राशि	सं.	राशि	सं.	राशि	सं.	राशि	सं.	राशि		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23

उत्तरी क्षेत्र

हरियाणा
हिमाचल प्रदेश
जम्मू और कश्मीर
पंजाब
राजस्थान
चंडीगढ़
दिल्ली

उत्तर पूर्वी क्षेत्र

असम
मणिपुर
मेघालय
नगालैंड
त्रिपुरा
अरुणाचल प्रदेश
मिजोरम

राज्य/ संघशासित क्षेत्र	लक्ष्य	प्राप्त आवेदन	कुल स्वीकृत ऋण		कुल संख्या वितरित ऋण		कुल संवितरित सब्सिडी		कुल स्वीकृत ऋण में अजा/अजजा को स्वीकृत ऋण		कुल संवितरित ऋण में अजा/अजजा को संवितरित ऋण		कुल स्वीकृत ऋण में महिलाओं को स्वीकृत ऋण		कुल संवितरित ऋण में महिलाओं को संवितरित ऋण		कुल स्वीकृत ऋण में विकलांगों को स्वीकृत ऋण		कुल संवितरित ऋण में विकलांगों को संवितरित ऋण		स्वीकृति हेतु लेबित आवेदनों की संख्या *	अस्वीकृत आवेदनों की संख्या**
			सं.	राशि	सं.	राशि	सं.	राशि	सं.	राशि	सं.	राशि	सं.	राशि	सं.	राशि	सं.	राशि	सं.	राशि		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23

पूर्वी क्षेत्र

बिहार

उड़ीसा

पश्चिम बंगाल

अंदमान और निकोबार

सिक्किम

मध्य क्षेत्र

छत्तीसगढ़

मध्य प्रदेश

उत्तरांचल

उत्तर प्रदेश

पश्चिम क्षेत्र

गुजरात

महाराष्ट्र

दमण और दीव

गोवा

दादरा और नगर हवेली

राज्य/ संघशासित क्षेत्र	लक्ष्य	प्राप्त आवेदन	कुल स्वीकृत ऋण		कुल संख्या वितरित ऋण		कुल संवितरित सब्सिडी		कुल स्वीकृत ऋण में अजा/अजजा को स्वीकृत ऋण		कुल संवितरित ऋण में अजा/अजजा को संवितरित ऋण		कुल स्वीकृत ऋण में महिलाओं को स्वीकृत ऋण		कुल संवितरित ऋण में महिलाओं को संवितरित ऋण		कुल स्वीकृत ऋण में विकलांगों को स्वीकृत ऋण		कुल संवितरित ऋण में विकलांगों को संवितरित ऋण		स्वीकृति हेतु लंबित आवेदनों की संख्या *	अस्वीकृत आवेदनों की संख्या**
			सं.	राशि	सं.	राशि	सं.	राशि	सं.	राशि	सं.	राशि	सं.	राशि	सं.	राशि	सं.	राशि	सं.	राशि		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23

दक्षिणी क्षेत्र

आंध्र प्रदेश
कर्नाटक
केरल
तमिलनाडु
लक्षद्वीप
पुडुचेरी

समग्र भारत

* कॉलम सं. 22 = कॉलम सं. 3-4-23

** कॉलम सं. 23 = कॉलम सं. 3-4-22

योजना के अंतर्गत संबंधित वर्ष का अप्रैल से मार्च तक का कार्यनिष्पादन दर्शानेवाली संचयी प्रगति

रिपोर्ट होनी चाहिए ।

एसजेएसआरवाई के घटक डीडब्ल्यूसीयूए के अंतर्गत माह ----- को समाप्त संचयी स्थिति दर्शानेवाली रिपोर्ट

बैंक का नाम :-----

(राशि लाख रूपए में)

राज्य/संघशासित क्षेत्र का नाम	डीडब्ल्यूसीयूए प्राप्त आवेदनों की संख्या	डीडब्ल्यूसीयूए स्वीकृत			डीडब्ल्यूसीयूए संवितरित			डीडब्ल्यूसीयूए	डीडब्ल्यूसीयूए	डीडब्ल्यूसीयूए
		समूहों की संख्या	कुल सदस्य	ऋण स्वीकृत राशि	समूहों की सं.	कुल सदस्य	ऋण संवितरित राशि			
	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33

उत्तरी क्षेत्र

हरियाणा
हिमाचल प्रदेश
जम्मू और कश्मीर
पंजाब
राजस्थान
चंडीगढ़
दिल्ली

उत्तर पूर्वी क्षेत्र

असम
मणिपुर
मेघालय
नगालैंड
त्रिपुरा
अरुणाचल प्रदेश
मिजोरम

राज्य/संघशासित क्षेत्र का नाम	डीडब्ल्यूसीयूए प्राप्त आवेदनों की संख्या	डीडब्ल्यूसीयूए स्वीकृत			डीडब्ल्यूसीयूए संवितरित			डीडब्ल्यूसीयूए	डीडब्ल्यूसीयूए	डीडब्ल्यूसीयूए
		समूहों की संख्या	कुल सदस्य	ऋण स्वीकृत राशि	समूहों की सं.	कुल सदस्य	ऋण संवितरित राशि			
	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33

पूर्वी क्षेत्र

बिहार
उड़ीसा
पश्चिम बंगाल
अंदमान और निकोबार

सिक्किम

मध्य क्षेत्र

छत्तीसगढ़

मध्य प्रदेश

उत्तरांचल

उत्तर प्रदेश

पश्चिम क्षेत्र

गुजरात

महाराष्ट्र

दमण और दीव

गोवा

दादरा और नगर हवेली

दक्षिणी क्षेत्र

आंध्र प्रदेश

कर्नाटक

केरल

तमिलनाडु

लक्षद्वीप

पुडुचेरी

समग्र भारत

महाराष्ट्र								
दमण और दीव								
गोवा								
दादरा और नगर हवेली								
दक्षिणी क्षेत्र								
आंध्र प्रदेश								
कर्नाटक								
केरल								
तमिलनाडु								
लक्षद्वीप								
पुडुचेरी								
समग्र भारत								
कुल								

अनुबंध III

मास्टर परिपत्र में समेकित परिपत्रों की सूची

सं.	परिपत्र सं.	दिनांक	विषय
1.	ग्राआक्रवि.एसपी.बीसी.52/09.06.01/ 97-98	17.11.1997	स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एसजेएसआरवाइ)
2.	ग्राआक्रवि.एसपी.बीसी.54/09.06.01/ 97-98	25.11.1997	स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एसजेएसआरवाइ)
3.	ग्राआक्रवि.एसपी.बीसी.96/09.06.01/ 97-98	02.03.1998	स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एसजेएसआरवाइ)
4.	ग्राआक्रवि.एसपी.बीसी.115/09.06.01/97-98	05.05.1998	स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एसजेएसआरवाइ)
5.	ग्राआक्रवि.एसपी.बीसी.5/09.06. 01/98-99	08.07.1998	स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एसजेएसआरवाइ) वास्तविक लक्ष्य का निर्धारण
6.	ग्राआक्रवि.एसपी.बीसी.6/09.06.01/ 98-99	18.07.1998	स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एसजेएसआरवाइ) स्पष्टीकरण
7.	ग्राआक्रवि.एसपी.बीसी.100/09.06.01/98-99	29.05.1999	स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना का कार्यान्वयन
8.	ग्राआक्रवि.एसपी.बीसी.69/09.06.01/ 99-2000	14.03.2000	स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एसजेएसआरवाइ)का कार्यान्वयन
9.	ग्राआक्रवि.एसपी.बीसी.33/09.06.01/ 2000-01	04.11.2000	सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम - बैंकों द्वारा संपार्श्विक प्रतिभूति का आग्रह
10.	ग्राआक्रवि.एसपी.बीसी.37/09.06.01/ 2000-01	24.11.2000	स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एसजेएसआरवाइ) - कार्यान्वयन
11	ग्राआक्रवि.एसपी.बीसी.54/09.06.01/ 2000-01	12.02.2001	स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एसजेएसआरवाइ) -

			के अंतर्गत रिपोर्टिंग प्रणाली की प्रगति
12.	ग्राआरूवि.एसपी.बीसी.58/09.06.01/ 2000-01	26.02.2001	स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एसजेएसआरवाइ) - के अंतर्गत स्वरोजगार गतिविधियों हेतु पूर्व प्रशिक्षण
13.	ग्राआरूवि.एसपी.बीसी.27/09.06.01/ 2001-02	21.09.2001	एसजेएसआरवाइ के अंतर्गत रिपोर्टिंग प्रणाली की प्रगति
14.	ग्राआरूवि.एसपी.बीसी.38/09.04.01/ 2001-02	12.11.2001	निजी क्षेत्र के बैंकों का कार्यनिष्पादन - सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाएं
15.	ग्राआरूवि.एसपी.बीसी.66/09.06.01/ 2002-03	07.03.2002	एसजेएसआरवाइ के अंतर्गत सब्सिडी राशि का लेखा
16.	ग्राआरूवि.पीएलएनएफएस.बीसी. 73/09.04.01/2001-2002	2.4.2002	"अदेयता प्रमाणपत्र" प्राप्त करना - सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत उधार
17.	ग्राआरूवि.एसपी.बीसी.116/09.16.01/2002-03	15.07.2002	जानकारी का आदान-प्रदान - शहरी स्वरोजगार कार्यक्रम के अंतर्गत ऋण और सब्सिडी - स्वर्णजयंती शहरी रोजगार योजना (एसजेएसआरवाइ)
18.	ग्राआरूवि.एसपी.बीसी.50/09.16.01/ 2002-03	4.12.2002	एसजेएसआरवाइ का कार्यान्वयन
19.	ग्राआरूवि.सं.एसपी.बीसी.05/09.16.01/2003-04	7.7.2003	जानकारी का आदान-प्रदान - शहरी स्वरोजगार कार्यक्रम के अंतर्गत ऋण और सब्सिडी - स्वर्णजयंती शहरी रोजगार योजना (एसजेएसआरवाइ)
20.	ग्राआरूवि.सं.एसपी.बीसी.72/09.01.01/2003-04	25.03.2004	विवरणियों की आवधिकता में परिवर्तन
21.	ग्राआरूवि.सं.एसपी.बीसी.80/09.16.01/2003-04	8.5.2004	एसजेएसआरवाइ के अंतर्गत अशोध्य और संदिग्ध ऋण - सब्सिडी राशि का

			समायोजन
22.	ग्राआऱुवऱ.सं.एसपी.बीसी.06/09.16.01/2004-05	17.7.2004	एसजेएसआरवाइ - अंतिम उपयोग सब्सिडी का प्रबंधन एवं समायोजन - सब्सिडी वाले भाग पर ब्याज का भुगतान
23	ग्राआऱुवऱ.सं.एसपी.बीसी.30/09.16.01/2009-10	12.10.2009	संशोधित दिशानिर्देश एसजेएसआरवाइ